न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस. प्रकरण, श्रीगंगानगर (राज०)

पीठासीन अधिकारी – अजय कुमार भोजक
(जिला न्यायाधीश)

सेशन प्रकरण संख्या – 11/2015

सीआईएस संख्या – 146/2015

सीएनआर संख्या – RJSG070000252015

राजस्थान राज्य, जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक।

बनाम

01. भूपेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र श्री मनीराम , जाट निवासी मकान नम्बर 13/97 मुक्ताप्रसाद नगर , सैक्टर नम्बर 13 पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर ।

–मफरूर अभियुक्त

02. रामभरोसे उर्फ कालूराम पुत्र श्री भगवान राम, जाट निवासी गांव पोस्ट तहसील भोपाल गढ़ भागों की ढाणी पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

–मफरूर अभियुक्त

03. वरूण कुमार पुत्र श्री लालचन्द उर्फ डालूराम , मेघवाल निवासी 14/116 मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर , हाल गांव अबूबशहर तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

–– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 8/18, 8/18 सपठित धारा 29,
स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

उपस्थित:–

1. श्री विजेन्द्र कुमार विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री अरविन्द्र सिंह गिल अधिवक्ता, अभियुक्त वरूण कुमार की ओर से।

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 10.07.2025

01. थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 22–4–2024 को विशिष्ट लोक अभियोजक के मार्फत अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार चौशरी, वरूण कुमार, एवं रामभरोसे उर्फ कालूराम के विरूद्ध धारा 8/18, 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 (जिसे एतस्मिन् पश्चात 'अधिनियम' सम्बोधित किया जाएगा) के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में

प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त हड़मानाराम के विरूद्ध मामला धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लम्बित रखा गया ।

02. इस प्रकरण का उद्भव बरामदगीकर्ता परिवादी पी०ड० 20 जय यादव जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–10 के एफआईआर नम्बर–272/2014 पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर में दर्ज कराने से हुआ।

03. इस प्रकरण में अभियुक्तगण भूपेन्द्र कुमार चौधरी व रामभरोसे उर्फ कालूराम मफरूर चल रहे हैं। अतः इस प्रकरण का निस्तारण अभियुक्त वरूण कुमार की हद तक किया जा रहा है।

04. प्रकरण के आवश्यक व सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 1.5.2014 को जय यादव आईपीएस (पी) थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर को 8.00 ए एम पर मुखबिर खास से इत्तला मिली कि दो व्यक्ति भूपेन्द्र कुमार चौधरी व वरूण कुमार आज इन्द्रा पार्क एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर में पार्क के अन्दर उत्तरी पूर्वी कोना के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे किसी ग्राहक को मादक पदार्थ अफीम की सप्लाई देने वाले हैं, मुखबिर खास की इत्तला विश्वसनीय होने पर इत्तला की तस्दीक व कार्यवाही हेतु थाना से वक्त 8.20 ए.एम. पर जययादव आईपीएस (पी) थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर मय गजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय अन्य मुलाजमान के रवाना होकर इन्द्रा पार्क में स्थित पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां पर दो व्यक्ति अपने अपने कंधा पर दो बैग लटकाये हुए पास पास बैठे थे जो उनको देखकर हड़बड़ाकर उठे तो उनको काबू कर नाम पूछने पर भूपेन्द्र कुमार चौधरी व वरूण कुमार बताया । उनकी तलाशी लेने पर भूपेन्द्र कुमार चौधरी के कब्जा के बैग में पोलीथीन की थैली में 500 ग्राम अफीम बरामद हुई, इसी प्रकार मौके पर वरूण कुमार के पास के बैग में एक पोलीथीन की थैली में भी 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। अभियुक्तगण से अफीम रखने बाबत लाईसेंस परमिट पूछा तो नहीं होना बताया गया । अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। फर्द तैयार की गई। फर्द के आधार पर पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 272/2014 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया । अनुसंधान के दौरान अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत इस बाबत सूचना दी कि उससे व वरूण कुमार से जो अफीम की बरामदगी हुई है वह रामभरोस उर्फ कालूराम ने उनको लाकर दी थी और वह आजाद टाकीज रेल्वे फाटक के पास अफीम के पैसे लेने आने वाला है, जिस इत्तला की तस्दीक में आजाद टाकीज के सामने श्रीगंगानगर पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त रामभरोस उर्फ कालूराम को दिनांक 2–5–2014 को गिरफ्तार किया जाकर तलाशी ली तो उससे 50 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई, जिस अफीम की बाबत लाईसेंस परमिट पूछा तो नहीं होना बताया

अभियुक्त रामभरोस उर्फ कालूराम द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनयम के तहत सूचना देकर दिनांक 3–5–2014 को कुल 735 ग्राम अफीम मनीराम चौधरी के मकान वार्ड नम्बर 10 कोढियों वाली पुली के पास पुरानी आबादी श्रीगंगानगर से बरामद करवाई और उक्त अफीम बाबत लाईसेंस परमिट पूछने पर नहीं होना बताया। बाद अनुसंधान अभियुक्त भूपेन्द्र चौधरी, वरूण कुमार एवं रामभरोसे उर्फ कालूराम के विरूद्ध धारा 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया । अभियुक्त हडमानाराम के विरूद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मामला लम्बित रखा गया । न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत होने पर अभियुक्तगण भूपेन्द्र चौधरी, वरूण कुमार एवं रामभरोसे उर्फ कालूराम के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

05. बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 14–5–2015 को अभियुक्तगण भूपेन्द्र कुमार, रामभरोसे उर्फ कालूराम व वरूण कुमार के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/18 8/18 सपठित धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर अभियुक्तगण को उक्त आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन समझकर अपराध करने से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

06. दिनांक 17.10.2019 को अभियुक्तगण भूपेन्द्र चौधरी, रामभरोसे उर्फ कालूराम व वरूण कुमार के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा उनके जमानत मुचलके जब्त किये जाकर गिरफ्तारी वांरट से तलब करने का आदेश दिया गया और दिनांक 12.5.2023 को मफरूरी साक्ष्य ली जाकर अभियुक्तगण् भूपेन्द्र कुमार, वरूण कुमार एवं राम भरोसे को मफरूर घोषित किया गया और अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वांरट जारी करने के आदेश दिये गये । पत्रावली मफरूरी में फैसलशुमार की गई, तत्पश्चात दिनांक 4.12.2024 को अभियुक्त वरूण कुमार को स्थाई गिरफ्तारी वांरट की पालना में गिरफ्तार कर पेश किया गया, पत्रावली बाजवा नम्बर पर दर्ज करने के आदेश दिये गये।

07. अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी०ड० 1 राजकुमार पुत्र मोहनलाल, पी.ड.2 राजपाल, पी.ड.3 राजकुमार पुत्र छोटेलाल, पी०ड० 4 जगपाल, पी.ड.5 विनोद कुमार, पी पी.ड.6 मनफूल,पी.ड.7 कैलाशचन्द्र, पी.ड.8 नेतराम, पी.ड.9 दरिया सिंह, पी.ड.10 संदीप नांरग पी.ड.11 प्रमोद कुमार, पी.ड.12 निशांत पी.ड.13 मनोज कुमार राणा, पी.ड.14 रामभज, पी.ड. 15 अनिल कुमार, पी.ड.16 जीवराज सिंह, पी.ड. 17 राजेन्द्र प्रसाद, पी.ड.18 ओमप्रकाश, पी.ड.19 गजेन्द्र सिंह, पी.ड. 20 जय यादव, पी.ड. 21 धर्मपाल, पी.ड.22 धीरेन्द्र सिंह, को परीक्षित करवाया तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त की। अभियोजन पक्ष

द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवायाः–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	नोटिस गवाह राजकुमार
2.	प्रदर्श पी–2,	नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त भूपेन्द्र
3.	प्रदर्श पी–3	नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त वरूण कुमार
4.	प्रदर्श पी–4	नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार
5.	प्रदर्श पी–5	नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त वरूण कुमार
6.	प्रदर्श पी–6, 6 ए	चिट नमूना सील व इसकी नकल
7.	प्रदर्श पी–7	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार
8.	प्रदर्श पी 8	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त वरूण कुमार
9.	प्रदर्श पी–9	एसपी से प्रमाणित चिट नमूना सील
10	प्रदर्श पी –10,	फर्द बरामदगी
11	प्रदर्श पी–11	पुलिस बयान राजकुंमार
12	प्रदर्श पी–12, 12 ए	राजपाल की थाना से रवानगी की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
13	प्र०पी–13	धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की हस्ताक्षरयुक्त प्रति
14.	प्रदर्श पी–14, 14 ए	राजपाल की थाना में आमद की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
15.	प्र०पी–15, 15 ए	राजकुमार पुत्र छोटेलाल की थाना से रवानगी की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
16.	प्रदर्श पी–16,	तथ्यात्मक रिपोर्ट की हस्ताक्षरयुक्त प्रति
17.	प्रदर्श पी–17, 17 ए	राजकुमार पुत्र छोटेलाल की थाना में आमद की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
18.	प्रदर्श पी–18	अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत एसएचओ की तहरीर दिनांक 2–5–2014
19	प्रदर्श पी 19	अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति
20.	प्रदर्श पी–20	अग्रेषण पत्र एसएचओ की तहरीर दिनांक 3–5–2014
21.	प्रदर्श पी–21	अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति

22.	प्रदर्श पी– 22	प्रमाणित चिट नमूना सील डीएस नाम की
23`	प्रदर्श पी 23	प्रमाणित चिट नमूना सील पीएसपीए नाम की
24	प्रदर्श पी 24, 24 ए	विनोद कुमार की थाना से रवानगी की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
25	प्रदर्श पी25	तथ्यात्मक रिपोर्ट की हस्ताक्षरयुक्त प्रति
26	प्रदर्श पी 26, 26 ए	विनोद कुमार की थाना में आमद की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
27	प्रदर्श पी 27	नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त रामभरोसे उर्फ कालूराम
28	प्रदर्श पी 28	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रामभरोसे उर्फ कालूराम
29	प्रदर्श पी 29	फर्द बरामदगी
30	प्रदर्श पी 30	नक्शा मौका बरामदगीस्थल
31	प्रदर्श पी 31, 31 ए	कैलाशचन्द्र की थाना से रवानगी की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
32	प्रदर्श पी 32	धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की पालना में मुखबिर इत्तला की हस्ताक्षरयुक्त प्रति
33	प्रदर्श पी 33, 33 ए	कैलशचन्द्र की थाना में आमद की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
34	प्रदर्श पी 34	फर्द बरामदगी मुल्जिम रामभरोसे उर्फ कालूराम
35	प्रदर्श पी 35, 35 ए	अभियुक्त रामभरोसे से बरामदा अफीम की बरामदगी स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका
36	प्रदर्श पी 36, 36 ए	दरिया सिंह की थाना से रवानगी की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
37	प्रदर्श पी37	तथ्यात्मक रिपोर्ट की हस्ताक्षरयुक्त प्रति
38	प्रदर्श पी 38 , 38 ए	दरिया सिंह की थाना में आमद की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
39	प्रदर्श पी 39	नोटिस गवाह संदीप नांरग
40	प्रदर्श पी 40	नोटिस गवाह निशान्त
41	प्रदर्श पी–41, 41 ए	सील्ड पैकेट मार्क ए व डी हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिये मनोज कुमार राणा की थाना से रवानगी की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
42	प्रदर्श पी 42, 42 ए	सील्ड पैकेट मार्क ए व डी के लिये अग्रेषण पत्र जारी करवाकर, मनोज कुमार राणा की थाना में थाना में आमद की रोजनामचा रपट व इसकी नकल

43	प्रदर्श पी 43, 43 ए	सील्ड पैकेट मार्क एक्स व एम हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिये मनोज कुमार राणा की थाना से रवानगी की रोजनामचा में रपट व इसकी नकल
44	प्रदर्श पी 44, 45	पैकेट मार्क ए, डी, एक्स व एम एफएसएल मे जमा कराने की रसीद
45	प्रदर्श पी 46, 46 ए	सील्ड पैकेट एफएसएल में जमाकरवाकर मनोज कुमार राणा की थाना में आमद की रोजनामचा रपट व इसकी नकल
46	प्रदर्श पी 47	सैम्पल पैकेट्स मार्क एम, ओ, पी, क्यू व आर मालखाना मे रखने का मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज व इसकी नकल
47	प्रदर्श पी 48	स्वतंत्र गवाह ओमप्रकाश को दिया गया नोटिस
48	प्रदर्श पी 49, 49 ए	नक्शा मौका बरामदगीस्थल , हालाात मौका
49	प्रदर्श पी 50	पुलिस बयान ओमप्रकाश
50	प्रदर्श पी51	इन्वेंटरी रिपोर्ट
51	प्रदर्शपी 52 से 66	फोटोग्राफ्स
52	प्रदर्श पी 67	प्रथम सूचना रिपोर्ट
53	प्रदर्श पी 68	फर्द इत्तला मुखबिर खास
54	प्रदर्श पी 69, 70	रोजनामचा रपट
55	प्रदर्श पी 71	रवानगी रोजनामचा रपट
56	प्रदर्श पी 72, 72 ए	नक्शा मौका ढाणी हनुमानाराम ,हालात मौका
57	प्रदर्श पी 73	फर्द इत्तला अभियुक्त रामभरोसे
58	प्रदर्श पी 74	चिट नमूना सील
59	प्रदर्श पी 75 व 76	एफएसएल रिपोर्ट
60	प्रदर्श पी 77	फर्द इत्तला अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार
61	प्रदर्श पी 78 से 88	धीरेन्द्र सिंह की रवानगी व आमद की रोजनामचा में रपटें

08 अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त वरूण कुमार का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्त साक्षीगण के बयानों को गलत होना व स्वयं का निर्दोष होना व उसे झूठा फसांया जाना बताया । साक्ष्य सफाई में बावजूद लिए जाने अवसर कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 पुलिस बयान राजपाल को प्रदर्शित कराया गया ।

09. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु हैः–

1. क्या दिनांक 01–05–2014 को या उससे पूर्व किसी समय अभियुक्त वरूण कुमार ने सह अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार व रामभरोसे के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ अफीम को क्रय विक्रय करने का आपराधिक षड़यंत्र कर रामभरोसे से 500 ग्राम अफीम क्रय की व 500 ग्राम अफीम सह अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार ने क्रय की, जिसके अनुसरण में दिनांक 1–5–2014 को 10.00 ए. एम. से 11.30 ए. एम. के मध्य किसी समय थाना जवाहरनगर के क्षेत्राधिकार की सीमाओं में अवस्थित इन्द्रा पार्क श्रीगंगानगर से अभियुक्त वरूण कुमार के अनन्य व सचेतन कब्जे के बैग में रखी थैली में से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई , जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई परमिट या प्राधिकार नहीं था ?

10. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि बरामदगी अधिकारी ने तलाशी से पूर्व अभियुक्त वरूण कुमार को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस विधिनुसार देकर उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत नहीं करवाया इस प्रकार बरामदगी की कार्यवाही, विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने के कारण दूषित हो जाती है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो स्वतंत्र गवाह पेश हुए हैं वे पक्षद्रोही रहे हैं जो अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते हैं एवं अन्य गवाहान पुलिस कर्मचारी हैं , हितबद्ध साक्षी हैं तथा उनके बयानों में गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत मुखबिर की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों नहीं भेजी गई है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 52, 57 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की विधिवत पालना नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क दिया कि जो दस्तावेजात प्रदर्श पी24, 25,26, 31,32 एवं 33 पत्रावली पर प्रदर्शित हुए हैं, उन पर गवाहान के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, उनका मौका पर तैयार किया जाना सन्देहजनक है। बरामदगी सन्देहजनक है। अभियुक्त वरूण द्वारा नशीले पदार्थ अफीम का क्रय विक्रय करने का आपराधिक षड़यंत्र कारित करने बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। अंत में अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

11. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि बरामदगीकर्ता पी.ड.20 जय यादव , पी.ड. 11 प्रमोद कुमार, 16 जीवराज सिंह पी.ड. 19 गजेन्द्र सिंह ने बरामदगी की पुष्टि की है। प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान के पक्षद्रोही हो जाने अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि स्वतंत्र गवाहान ने फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अन्य

गवाहान के पुलिस कर्मचारीगण होने से व उनके बयानों में मामूली विरोधाभास होने से अभियेाजन कहानी सन्देहजनक नहीं होती है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत मुखबिर सूचना को लेखबद्ध कर इसकी सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को विधिवत प्रेषित की गई है। अभियुक्त को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत रूप से नोटिस दिया गया है एवं प्रकरण में धारा 52, 57 एनडीपीएस एक्ट की विधिवत पालना की गई है तथा अनुसंधान अधिकारी से जिरह नहीं की गई है। अभियुक्त वरूण द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ नशीले पदार्थ अफीम के क्रय विक्रय कर आपराधिक षड़यंत्र कारित करना उपलब्ध साक्ष्य से साबित है। उक्त तर्क देते हुए , उन्होंने अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया ।

12. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने दौराने बहस अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए:–

1. 2013 (4) Crimes 4 (SC)
Gian Chand & Ors. Vs. State of Haryana

13. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया गया। जिनकी रोशनी में न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैः–

14. इस संबंध में सर्वप्रथम प्रकरण के मुख्य गवाह एवम् बरामदगीकर्ता पी.ड.20 जय यादव ने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 01.05.2014 को वह पुलिस थाना जवाहर नगर श्रीगांगनगर में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन इसके राजकार्य करते हुए जरिये मुखबिर खास से इतला मिली कि दो व्यक्ति जिनमें एक का नाम भूपेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र मनीराम एवं दूसरा वरूण कुमार पुत्र लालचंद आकर आज एन ब्लॉक इन्द्रा पार्क श्रीगंगानगर में उत्तरी पूर्वी कौना में पीपल के पेड़ के नीचे किसी ग्राहक को अफीम की सप्लाई देने वाले है, अगर दबिश देकर उनकी तलाशी ली जावे तो उनके कब्जा से मादक पदार्थ अफीम की भारी मात्रा में बरामदगी हो सकती है। उक्त ईतला विश्वसनीय होने के कारण इसके द्वारा तैयार की जाकर धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की पालना में तहरीर दो प्रतियों में तैयार कर सीओ साहब वृत शहर श्रीगंगानगर को देकर आने हेतु कैलाश एफसी को समय 8.10 एएम पर रवाना किया गया तथा समय 8.20 एएम पर साथी जाब्ता को मुखबिर इतला से अवगत करवाकर वह अपने साथ जीवराज सिंह, गजेन्द्र सिंह एसआई, प्रमोद कुमार एफसी, हरिओम एफसी जीप सरकारी चालक प्रवीण कुमार मय तफ्तीश का सामान कम्प्यूटर कान्टा आदि लेकर रवाना हुआ। एन ब्लॉक में स्थित इन्द्रा पार्क में करीब 8.30 एएम पर हम पहुंचे तो देखा कि मुताबिक ईतला दो व्यक्ति

इन्द्रा पार्क के अन्दर उत्तरी पूर्वी कौना में पीपल के पेड के नीचे दो व्यक्ति जिनके कन्धों पर एक–एक बैग लटका हुआ था, बैठे दिखे जो पुलिस पार्टी को बावर्दी देखकर हड़बड़ाये तो इसने हमराह जाब्ता की मदद से दोनों को घेरा देकर काबू किया। काबू किये व्यक्तियों से इसने नाम–पता पूछा तो एक ने अपना नाम भूपेन्द्र चौधरी व दूसरे ने अपना नाम वरूण कुमार होना बताया। दोनों काबू किये व्यक्तियों को इसने अपना परिचय दिया व मुखबिर ईतला से अवगत करवाया। इसने जीवराज सिंह को दो स्वतंत्र व्यक्तियो को तलब कर लाने हेतु कहा तो वहां पास में ही पार्क में घूम रहे दो व्यक्तियो को जीवराज सिंह ने पास बुलाया व इसने उनका नाम–पता पूछा तो एक ने अपना नाम राजकुमार व दूसरे ने अपना नाम ओमप्रकाश होना बताया। दोनो गवाहान को ईतला से अवगत करवाया व कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने हेतु कहा व दोनो गवाहों ने हामी भरी। इसने दोनों गवाहों को मुखबिर ईतला से अवगत करवाते हुये अलग–अलग लिखित में नोटिस दिया। दोनों गवाहो ने अपने–अपने नोटिस पर कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने हेतु मुझे लिखित में सहमति दी। इसने भूपेन्द्र चौधरी व वरूण कुमार को अवगत करवाया कि मुझे विश्वास है कि आपके पास मादक पदार्थ अफीम हो सकती है। तलाशी की कार्यवाही करनी है, आपको कानूनी अधिकार है आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते है। इसने दोनों आरोपियों को अलग –अलग धारा 50 एनडीपीएस का लिखित में नोटिस दिया। दोनों आरोपियो ने अपने–अपने नोटिस पर अपनी–अपनी तलाशी इसको देने की लिखित मे सहमति दी। इसने दोनों आरोपियों की तलाशी लेने से पहले अपनी, जाब्ते की व मोतबीरान की तलाशी आरोपीगण को दिलाकर तस्सली कराई कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। इसने आरोपी भूपेन्द्र कुमार चौधरी के कन्धा पर टंगे बैग को कब्जा में लेकर चैक किया, तो बैग में एक पोलीथीन की थैली मिली, जिसमें काले से रंग का गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ था। इसने थैली को खोलकर देखा–दिखाया व सूंघा–सूंघाया तो सभी ने अफीम होना बताया। इसने मुलजिम से लाईसेन्स परमिट का पूछा तो मुलजिम ने नहीं होना बताया।

15. पी.ड.20 जय यादव ने सशपथ कथनों में यह भी कथन किया है कि इसने मुलजिम भूपेन्द्र कुमार से बरामदा अफीम का कम्प्यूटर कान्टा से वजन किया तो शुद्ध अफीम का वजन 500 ग्राम हुआ। इसने बरामद अफीम में से 50–50 ग्राम अफीम बतौर सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल अलग–अलग प्लास्टिक की थैली में निकालकर अलग–अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर अलग–अलग सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर सैम्पल पैकेट पर मार्क ए व कन्ट्रोल सैम्पल पैकेट पर मार्क बी अंकित किया। बाकी बची अफीम को उसी बरामद पोलीथीन की थैली में रहने दिया जाकर एक प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर एक

सफेद कपड़े की थैली में आलकर बतौर वजह सबूत सील मोहर कर पैकेट पर मार्क सी अंकित किया। आरोपी भूपेन्द्र कुमार को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का लिखित में देकर कारण गिरफ्तारी से अवगत करवाया।

16. पी.ड.20 जय यादव ने सशपथ कथनों में यह भी कथन किया है कि आरोपी वरूण कुमार के कंधा पर रखे बैग को कब्जा में लेकर चैक किया तो बैग के अन्दर से एक पोलीथीन की थैली मिली, जिसमें काले से रंग का गाढा सा पदार्थ भरा हुआ था। थैली को खोलकर देखा–दिखाया व सूंघा–सूघाया तो सभी ने अफीम होना बताया। आरोपी वरूण कुमार से अपने कब्जा में अफीम रखने का लाईसेन्स परमिट का पूछा तो वरूण कुमार ने नहीं होना बताया। आरोपी वरूण कुमार से बरामदा अफीम का कम्प्यूण्टर कान्टा से वजन किया तो बरामद अफीम का शुद्ध वजन 500 ग्राम हुआ। बरामद अफीम में से 50–50 ग्राम अफीम बतौर सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल अलग–अलग प्लास्टिक की थैली में निकालकर अलग–अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर अलग–अलग सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर सैम्पल पैकेट पर मार्क डी व कन्ट्रोल सैम्पल पैकेट पर मार्क ई अंकित किया। बाकी बची अफीम को उसी बरामदा प्लास्टिक की थैली में रहने दिया जाकर एक प्लास्टिक के डिब्बा में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर बतौर वजह सबूत सील मोहर कर पैकेट पर मार्क एफ अंकित किया। आरोपी वरूण कुमार को गिरफतारी के कारणो से अवगत करवाते हुये नोटिस धारा 52 एनडीपीएस का लिखित में दिया। सील मोहर की कार्यवाही में अंग्रेजी अक्षर बीआर नाम की सील का प्रयोग किया। बाद कार्यवाही 6 चिट नमूना सील बनाने के बाद इस बीआर नाम की सील को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर आईओ बॉक्स में रखी एक अन्य सील थाना की सरकारी सील अंग्रेजी अक्षर एसएचओ पीएस जे डब्ल्यू एन आर नामक सील से सील मोहर कर पैकेट पर मार्क जी अंकित किया। दोनों आरोपीगण को जरिये फर्द गिरफ्तारी अलग–अलग गिरफतार क्रिया। मौका पर सारी कार्यवाही करके स्वतंत्र गवाहन को वहीं से रूख्सत कर दिया। मौका पर समस्त कार्यवाही करने के पश्चात सील्ड पैकेट्स, फर्दात व मुलजिमान को लेकर थाना आ गये जहां इसके द्वारा फर्द बरामदगी की पुस्त पर क से ख भाग पर कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन किया गया, जिसके नीचे अ से ब इसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान को बंद हवालात किया गया व बरामद माल मुद्दा को मालखाना में जमा करवाया।

17. पी.ड.20 जय यादव ने सशपथ कथनों में एफआईआर प्रदर्श पी 67 , फर्द बरामदगी प्रदर्शपी 10 है, स्वतंत्र गवाह राजकुमार को दिया गया नोटिस प्रदर्शपी 1 , मुलजिम भूपेन्द्र कुमार को दिया गया नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्शपी 2 है, मुलजिम वरूण कुमार को दिया गया नोटिस धारा 50 एनडीपीएस

एक्ट प्रदर्शपी 3 है, मुलजिम भूपेन्द्र कुमार को दिया गया नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्शपी 4 है, मुलजिम वरूण कुमार धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 5 है, चिट नमूना सील प्रदर्शपी 6 जिसकी प्रति प्रदर्शपी 6ए , फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम भूपेन्द चौधरी प्रदर्शपी 7 है, गुलजिम वरूण कुमार फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रदर्शपी 8, चिट नमूना सील प्रदर्शपी 9 फर्द इतला मुखबिर खास प्रदर्शपी 68 है, जिस पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है। रोजनामचे प्रदर्शपी 69, 70 है, रवानगी रोजनामचा रपट प्रदर्शपी 71 है , अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए भेजा गया, जो प्रदर्शपी 18 है, प्रार्थना पत्र अग्रेषण पत्र जारी करने हेतु प्रदर्शपी 20 है को प्रदर्शित करवाया है।

18. पी.ड.20 जय यादव ने सशपथ कथनों में यह भी कथन किया है कि दिनांक 03.05.2014 को उक्त प्रकरण की धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की पालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट तहरीर दो प्रतियों में तैयार कर इसके द्वारा विशेष वाहक को देकर एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर हेतु देकर रवाना किया जहां उपस्थित एसपी साहब को एक प्रति देकर दूसरी पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर करवाकर उक्त प्रति थाना लाकर मुझको सुपुर्द की, उक्त प्रति प्रदर्शपी 37 है, जिस पर सी से डी इसके हस्ताक्षर है, ए से बी स्थान पर एसपी साहब के प्राप्ति के हस्ताक्षर है। धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट की सूचना जो इसके द्वारा कैलाश बन्द्र एफसी के माध्यम से सीओ शहर को भिजवाई गई थी, जो प्रदर्शपी 32 है, जिस पर सी से डी इसके हस्ताक्षर है. ए से बी भाग में सीओ साहब के प्राप्ति के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर प्रदर्शपी 47ए है, जिस पर क्यू से आर इसके हस्ताक्षर है। स्वतंत्र गवाह ओमप्रकाश को दिया गया नोटिस प्रदर्शपी 48 है. जिस पर जी से एच इसके हस्ताक्षर है, सी से डी गवाह की सहमति व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 01.05.2014 को उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामदगी स्थल पर जाकर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका इसकी निशानदेही से जीवराज सिंह व नेतराम के समक्ष तैयार किया, जो प्रदर्शपी 49 है, जिस पर ई से एफ इसके हस्ताक्षर है।

19. पी.ड.20 जय यादव ने सशपथ कथनों में यह भी कथन किया है कि न्यायालय में सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क ए पेश हुआ, जिस पर एफएसएल विभाग की सील लगी हुई है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 1 है. आर्टिकल 1 की चिट दस्तख्ती पर ए से बी इसके, सी से डी मुलजिम भूपेन्द्र के, ई से एफ व जी से एच व आई से जे व के से एल व एम से एन स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर सील का अंकन है। न्यायालय में सील्ड कंट्रोल सैम्पल पेकेट मार्क बी पेश हुआ. जिस पर न्यायालय की मोहर लगी हुई

है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 की चिट दस्तख्ती पर ए से बी इसके, सी से डी मुलजिम भूपेन्द्र के, ई से एफ व जी से एच व आई से जे व के से एल व एम से एन स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर सील का अंकन है।

20. पी.ड.20 जय यादव ने सशपथ कथनों में यह भी कथन किया है कि न्यायालय में सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क सी पेश हुआ, जिस पर न्यायालय की मोहर लगी हुई है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल–3 की चिट दस्तख्ती पर ए से बी इसके, सी से डी मुलजिम भूपेन्द्र के, ई से एफ व जी से एच व आई से जे व के से एल व एम से एन स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर है. एक्स स्थान पर सील का अंकन है। न्यायालय में सील्ड पेकेट मार्क डी पेश हुआ, जिस पर एफएसएल विभाग की सील लगी हुई है, पैकेट मार्क डी कटी फटी स्थिति में होने के कारण मुकदमा का अनवान दिखाई नहीं दे रहा है, जो आर्टिकल 4 है। न्यायालय में सील्ड कंट्रोल सैम्पल पेकेट मार्क ई पेश हुआ, जिस पर न्यायालय की मोहर लगी हुई है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है. जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 की चिट दस्तख्ती पर ए से बी इसके, सी से डी मुलजिम वरूण के, ई से एफ व जी से एच स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर सील का अंकन है. शेष हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे है। न्यायालय में सील्ड पेकेट मार्क एफ पेश हुआ, जिस पर न्यायालय की मोहर लगी हुई है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 की चिट दस्तख्ती पर ए से बी इसके, सी से डी मुलजिम वरूण के, ई से एफ व जी से एच स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर सील का अंकन है, शेष हस्ताक्षर चिट दस्तख्ती कटी फटी होने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नही दे रहे है।न्यायालय में सील्ड पेकेट मार्क जी पेश हुआ. जिस पर न्यायालय की सील लगी हुई है जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है. चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 7 की चिट दस्तख्ती पर ए से बी इसके, सी से डी मुलजिम वरूण के, ई से एफ भूपेन्द्र के व जी से एच व आई से जे स्वतंत्र गवहान के, के से एल साथी मुलाजम के हस्ताक्षर है. एक्स स्थान पर सील का अंकन है। न्यायालय में मुलजिम भूपेन्द्र की जामा तलाशी में मिला अनसील्ड पेकेट पेश हुआ, जिसमें एक बेग, दो मोबाईल्स, एक ब्राउन कलर का पर्स, एक आधार कार्ड, एक पेन

कार्ड, ट्रैवल पास, 10 रूपये है। दौराने साक्ष्य न्यायालय में मुलजिम वरूण की जामा तलाशी में मिला अनसील्ड पेकेट पेश हुआ, जिसमें एक थैला, दो मोबाईल्स, एक पर्स, 110 रूपये, एक आधार कार्ड, एक पहचान पत्र है। दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी ने इसके पुलिस बयान लेखबद्ध किये थे।

21. **इसी प्रकार बरामदगी के अन्य साक्षी पी.ड. 11 प्रमोद कुमार ने बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड.20 जय यादव द्वारा मुखबिर इत्तला से इसे अवगत कराना व इसके द्वारा बरामदगीकर्ता अधिकारी जय यादव के साथ थाना से रवाना होकर मौका पर जाना व अभियुक्त वरूण कुमार के कब्जा से 500 ग्राम अफीम बरामद होना करते हुए, उसके बयानों की ताईद की है।**

22. **पी.ड. 16 जीवराज सिंह ने बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड.20 जय यादव द्वारा मुखबिर इत्तला से इसे अवगत कराना व इसके द्वारा बरामदगीकर्ता अधिकारी जय यादव के साथ इत्तला की तस्दीक हेतु साथ जाना व मौका पर अभियुक्त वरूण कुमार के कब्जा से 500 ग्राम अफीम बरामद होना करते हुए, उसके बयानों की ताईद की है व** आगे यह भी कथन किया है कि अनुसन्धान अधिकारी धिरेन्द्र सिंह एसएचओ पुरानी आबादी ने दिनांक 1.05.2014 को समय 4.45 पीएम पर इसकी निशानदेही से व नेतराम एफसी की उपस्थिति में बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी 49 बनाया था जिस पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है. सी से डी नेतराम एफसी के हस्ताक्षर है, जिसके हस्ताक्षर वह पहचानता है, इन्होंने साथ–साथ काम किया है. ई से एफ जय यादव आईपीएस के हस्ताक्षर है।

23. **पी.ड. 19 गजेन्द्र सिंह ने बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड.20 जय यादव को मुखबिर इत्तला प्राप्त होना व इसके द्वारा बरामदगीकर्ता अधिकारी जय यादव के साथ इत्तला पर कार्यवाही हेतु साथ जाना व मौका पर अभियुक्त वरूण कुमार के कब्जा से 500 ग्राम अफीम बरामद होना करते हुए, उसके बयानों की ताईद की है** व आगे यह भी कथन किया है कि अनुसंधान अधिकारी की तफतीश से आरोपीगण भूपेन्द्र कुमार, वरूण कुमार, रामभरोसे के विरूद्ध अपराध धारा 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट का प्रमाणित पाया गया व आरोपी हड़मानाराम के विरूद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत मामला लम्बित रखा गया । उसके बाद पत्रावली इसके समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हुई। इसके द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। इस प्रकरण में धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट के तहत भौतिक सत्यापन कराने हेतु सीजेएम साहब श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्र पी 50 उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है। सीजेएम के आदेशानुसार न्यायिक मजि० सं०–02 श्रीगंगानगर प्रियंका पारीक द्वारा दिनांक 07.01.15 को भौतिक सत्यापन कर इनवेटेरिट रिपोर्ट प्र पी 51 बनायी गयी जिस पर ए से बी प्रियंका पारीक मजि० साहब के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह पहचानता है। वह राजकार्य से

इनके न्यायालय में पेश होता रहा है, सी से डी इसके हस्ताक्षर है, इ से एफ रघूवीरसिंह एफसी के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह पहचानता है, उसने इसके अधीनस्थ काम किया है, जी से एच न्यायालय के रीडर संजय जेवरिया के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर भी पहचानता है। फोटोग्राफस प्र पी 52 से 66 है।

24. अन्य गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो पी.ड. 4 जगपाल ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 02.06.14 को वह एसपी ऑफिस श्रीगंगानगर में परीक्षण अनुभाग में कार्यस्त था। उस दिन पुलिस थाना जवाहर नगर से विशेष वाहक मनोज कुमार एफसी नं० 900 मुकदमा नम्बर 272/14 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना जवाहर नगर श्रीगंगानगर का वजह सबूत सील्ड पैकेट ए व डी मय दस्तावेजात जिसमें दो एफआईआर की प्रतियां, दो फर्द बरामदगी की प्रतियां, तीन चिट नमूना सील की प्रतियां व दो एसएचओ की तहरीर एस पी के नाम की लेकर आया। एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया। इसने दस्तावेजात का अवलोकन किया। सील्ड पैकेट ए व डी पर लगी सील का मिलान साथ लाई चिट नमूना सील से किया। सही पाये जाने पर सारे दस्तावेजात व सील्ड पैकेट ए व डी लेकर वह कार्यवाहक एसपी मनोज कुमार के पास गया। जिन्होंने दस्तावेजात का अवलोकन किया। सील्ड पैकेट ए व डी पर लगी सील का मिलान चिट नमूना सील से किया। सही पाये जाने पर इसे अग्रेषण पत्र तैयार करने के निर्देश दिये। इसने उनके निर्देशानुसार अग्रेषण पत्र तीन प्रतियों में तैयार कर विशेष वाहक मनोज कुमार के हस्ताक्षर करवाये व अपने लघु हस्ताक्षर कर सारे दस्तावेजात व सील्ड पैकेट ए व डी लेकर पुनः कार्यवाहक एसपी मनोज कुमार के पास गया, जिनके अग्रेषण पत्र पर हस्ताक्षर करवाये व चिट नमूना सील प्रमाणित करवाई। अग्रेषण पत्र कार्यालय के रजिस्टर कमांक 434 पर दर्ज कर विशेष वाहक मनोज कुमार को मूल अग्रेषण पत्र, प्रमाणित चिट नमूना सील, एक एफआईआर की एक बरामदगी की एडीएफएसएल में जमा कराने हेतु दिये। इसके अलावा मनोज कुमार को इसने एक प्रमाणित चिट नमूना सील, मूल अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति अनुसंधान अधिकारी को देने हेतु दी थी। एसएचओ की तहरीर प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी दस्तावेज की सुची का अंकन है। अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 19 है जिसपर ए से बी विशेष वाहक मनोज कुमार के हस्ताक्षर हैं जो इसने एसपी ऑफिस में करवाये थे। सी से डी इसके लघु हस्ताक्षर हैं। ई से एफ कार्यवाहक एसपी मनोज कुमार के हस्ताक्षर है। प्रमाणित चिट नमूना सील प्रदर्श पी 09 है। जिस पर सी से डी इसके लघु हस्ताक्षर व ई से एफ कार्यवाहक एस पी मनोज कुमार के हस्ताक्षर प्रमाणित करने के हैं। सील्ड पैकेट ए व डी जब तक इसके पास रहा सील्ड हालत में रहा व सील्ड हालत में ही इसने विशेष वाहक मनोज कुमार को सुपुर्द किया।

25. पी.ड 07 कैलाशचन्द ने अपनें सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 01.05.14 को वह पुलिस थाना जवाहर नगर श्रीगंगानगर में कांस्टेबल के पद पर कार्यस्त था। उस दिन प्रशिक्षु आईपीएस एसएचओ जवाहरनगर जययादव ने उसे इस प्रकरण की मुखबीर इत्तिला दो प्रतियों में देकर हिदायत दी कि एक प्रति सीओ सिटी श्रीगंगानगर को देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाकर लावें। थाने से इसकी रवानगी का इन्द्राज रोजनामचा कमांक 09 समय 08:10 एएम पर दर्ज किया था। जो प्रदर्शपी 31 है। जिसकी नकल प्रदर्शपी 31ए है। जिन पर ए से बी इसके हस्ताक्षर हैं। सीओ सिटी कार्यालय नौ बजे पहुंचकर इसने मुखबीर इत्तिला की दोनों प्रतियां सीओ राजेन्द्र ढिढारिया को पेश की। जिन्होंने एक प्रति रख ली। दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कर इसे वापिस लौटा दी। जो प्रदर्शपी 32 है। जिस पर ए से बी सीओ सिटी राजेन्द्र डिढारिया के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय दिनांक व समय अंकित है। प्रदर्शपी 32 लेकर वह थाना पर 09:30 एएम पर पहुंचा व आमद का इन्द्राज रोजनामचा कमांक 16 पर दर्ज किया। जो प्रदर्शपी 33 है। जिसकी नकल प्रदर्शपी 33ए है। जिन पर ए से बी इसकी आमद का इन्द्राज, सी से डी इसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शपी 32 इसने जय कुमार यादव को उनके थाना पर आने पर 11:30 एएम पर सुपुर्द कर दी थी।

26. पी.ड 9 दरिया सिंह ने अपनें सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 02.05.14 को वह पुलिस थाना जवाहर नगर श्रीगंगानगर में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं० 272/14 धारा 8/18. 29 एनडीपीएस एक्ट पीएस जवाहर नगर श्री गंगानगर की तथ्यात्मक रिपोर्ट धारा 57 एनडीपीएस एक्ट के तहत एसएचओ जय यादव ने दो प्रतियों में देकर हिदायत दी कि एक प्रति एसपी श्रीगंगानगर को देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कराके लावें। थाने से इसकी रवानगी का इन्द्राज रोजनामचा क्रमांक 88 समय 9:30 एएम पर दर्ज है। जो प्रदर्शपी 36 है। जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्शपी 36 ए है जिन पर ए से बी इसकी रवानगी का इन्द्राज व सी से डी इसके हस्ताक्षर है। एसपी कार्यालय पहुंचकर इसने दोनो प्रतियां कार्यवाहक एसपी मनोजकुमार के पेश की। जिन्होंने एक प्रति रख ली व दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कर इसे वापिस कर दी। हस्ताक्षरयुक्त प्रति प्रदर्शपी 37 है जिस पर ए से बी कार्यवाहक एसपी मनोजकुमार के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय दिनांक व समय अंकित है। प्रदर्शपी 37 लेकर वह थाना पर 10:30 एएम पर पहुंचा थाना पहुंचकर प्रदर्शपी 37 इसने एसएचओ के सुपूर्द कर दी। इसने अपनी आमद का इन्द्राज रोज० कमांक 91 पर दर्ज किया। जो प्रदर्शपी 38 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 38 ए पत्रावली में मौजूद है। जिन पर ए से बी इसकी आमद का इन्दाज व सी से डी इसके हस्ताक्षर है।

27. पी.ड.13 मनोज राणा ने अपनें सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक

2.05.14 को वह पीएस जवाहर नगर श्रीगंगानगर में एफसी के पद पर कार्यरत था । उस दिन एसएचओ के निर्देशानुसार मालखाना इन्चार्ज ने उसे मुकदमा नम्बर 272/14 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पीएस जवाहर नगर का वजह सबूत सील्ड सैम्पल पैक्ट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात जिसमें फर्द बरामदगी की दो प्रतियां, एफआईआर की दो प्रतियां, चिट नमूना सील की दो प्रतिया व दो प्रतिया तहरीर एसएचओ की एसपी के नाम की देकर हिदायत दी कि एसपी कार्यालय से एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वास्ते जांच जमा कराके आवें। थाना से मेरी रवानगी का इन्द्राज रोजनामचा कमांक 107 समय 3.00 पीएम पर दर्ज है। जो प्रदर्शपी 41 है। जिसकी नकल पत्रावली में मौजूद है जो प्रदर्शपी 41 ए है जिन पर ए से बी इसकी रवानगी का इन्द्राज, सी से डी इसके हस्ताक्षर है। एसपी कार्यालय में परीक्षण विभाग में कार्यरत जगपाल को इसने सारे दस्तावेजात व पैकट मार्क का ए व डी सुपुर्द कर एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाने का निवेदन किया। जगपाल ने दस्तावेजात का अवलोकन किया। पैकट मार्क ए व डी के मुख पर लगी सील का मिलान साथ लाई चिट नमूना सील से किया। मिलान सही पाया गया। जगपाल सारे दस्तावेजात तथा पैकट मार्क ए व डी लेकर मनोज कुमार के पास गया। जगपाल ने उनके निर्देशानुसार अग्रेषण पत्र 3 प्रतियों में तैयार कर इसके हस्ताक्षर करवाये व जगपाल ने भी अपने लघु हस्ताक्षर किये। जगपाल सारे दस्तावेजात, तैयार किये गये अग्रेषण पत्र तथा पैकट मार्क ए व डी लेकर पुनः कार्यवाहक एसपी मनोज कुमार के पास गया। जिनके अग्रेषण पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर लाया व चिट नमूना सील प्रमाणित करवाकर लाया। जगपाल ने अग्रेषण पत्र कार्यालय के रजिस्टर कमांक 434 पर दर्ज कर मेरे को मूल अग्रेषण पत्र, एक प्रति एफआईआर एक प्रति फर्द बरामदगी, एक प्रमाणित चिट नमूना सील व पैकट मार्क ए व डी एफएसएल में जमा कराने हेतु दिये। इसके अलावा एक प्रमाणित चिट नमूना सील, अग्रेषण पत्र की एक कार्बन प्रति व एक तहरीर एसएचओ की आईओ को देने के लिए भी दी थी। एफएसएल मे 3 व 4 मई 2014 का अवकाश होने के कारण वह एसपी कार्यालय से थाना आ गया। थाना पहुंचकर इसने पैकट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात मालखाना इन्चार्ज को सुरक्षित संभलायें। आईओ को देने वाले दस्तावेजात आईओ को दे दिये। इसने अपनी आमद का इन्द्राज रोजनामचा कमांक 113 समय 7.00 पीएम पर दर्ज किया जो प्रदर्शपी 42 है। जिसकी नकल पत्रावली में मौजूद है जो प्रदर्शपी 42 ए है जिन ए से बी इसकी आमद का इन्द्राज सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 4.05.14 को एसएचओ के निर्देशानुसार इसी प्रकरण का वजह सबूत सील्ड सैम्पल पैकट मार्क एक्स व एम मय दस्तावेजात जिसमें दो प्रतियां एफआईआर, दो प्रतियां फर्द बरामदगी, दो तहरीर एसएचओ की एसपी के नाम की तथा तीन प्रतियां चिट नमूना सील, मलाखाना इन्चार्ज ने इसे देकर हिदायत दी कि एसपी

कार्यालय से श्रीगंगानगर से एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वास्ते जांच जमा कराके आवें। इसी के साथ मालखाना इन्चार्ज ने इसी प्रकरण का पैकट मार्क ए व डी गय दस्तावेजात. जारी शुदा अग्रेषण पत्र भी मुझे दिया था। थाना से मेरी रवानगी का इन्द्राज रोजनामचा कमांक 236 समय 3.00 पीएम पर दर्ज किया। जो प्रदर्शपी 43 है जिसकी नकल पत्रावली में मौजूद है जो प्रदर्शपी 43 ए है। जिन पर ए से बी इसकी रवानगी का इन्द्राज सी से डी इसके हस्ताक्षर है। एसपी कार्यालय में पडूबकर परीक्षण विभाग में कार्यरत जगपाल को मैंने एक्स व एम पैकट मथ दस्तावेजात सुपुर्द कर एफएसएल के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाने का निवेदन किया। जगपाल ने दस्तावेजात का अवलोकन किया। पैकट मार्क एक्स व एम के मुख पर लगी सील का मिलान साथ लायी चिट नमूना सील से किया। मिलान सही पाया गया। जगपाल सारे दस्तावेजात व पैकट मार्क एक्स व एम लेकर कार्यवाहक एसपी राजेन्द्र प्रसाद द्विद्वारिया के पास गया। जगपाल ने उनके निर्देशानुसार अग्रेषण पत्र तीन प्रतियों में तैयार कर इसके हस्ताक्षर करवायें व जगपाल ने अपने भी लघु हस्ताक्षर किये। जगपाल सारे दस्तावेजात, तैयार किये गये अग्रेषण पत्र व पैकट मार्क एक्स व एम लेकर पुनः कार्यवाहक एसपी राजेन्द्र प्रसाद ढिढारिया के पास गया। जिनके अग्रेषण पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर लाया व चिट नमूना सील प्रमाणित करवाकर लाया। जगपाल ने मुझे अग्रेषण पत्र कार्यालय रजिस्टर कमांक 436 पर दर्ज कर मूल अग्रेषण पत्र, प्रमाणित विट नमूना सील डीएस व पीएसपीए के नाम की एक–एक, एक प्रति एफआईआर, एक प्रति फर्द बरामदगी तथा पैकट मार्क एक्स व एम एफएसएल में जमा कराने हेतु दिया। इसके अलावा जगपाल ने मुझे एक प्रमाणित चिट नमूना सील डीएस नाम की एक प्रमाणित चिट नमूना सील पीएसपीए नाम की. एक तहरीर एसएचओ की तथा अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति आईओ को देने के लिए भी दी थी। मैं उसी दिन जयपुर के लिए रवाना हो गया था व अगले दिन जयपुर पहुंचकर चारो पैकट ए.डी.एक्स व एम मय दस्तावेजात एफएसएल में जमा कराकर जमा कराने की प्राप्ति रसीद कमांक 5443 व 5444 दिनांक 5.05.14 की प्राप्त की जो प्रदर्शपी कमशः 44 व 45 है। दिनांक 7.05.14 को वह थाना वापस आया। थाना पहुंचकर इसने अपनी आमद का इन्द्राज रोजनामचा क्रमांक 437 समय 6.00 पीएम पर दर्ज किया। जो प्रदर्शपी 46 है। जिसकी नकल पत्रावली में मौजूद है। जो प्रदर्शपी 46 ए है। जिन पर ए से बी इसकी आमद का इन्द्राज सी से डी इसके हस्ताक्षर है। प्रदर्शपी 44 व 45 इसने मालखाना इन्चार्ज के सुपूर्द कर दी। आईओ को देने वाले दस्तावेजात इसने आईओ को दे दिये। एसएचओ की तहरीर प्रदर्शपी 18 है जिस पर ए से बी संलग्न दस्तावेजात की सूची का अंकन है। अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्शपी 19 है जिस पर ए से बी विशेष वाहक मनोज कुमार के हस्ताक्षर है। जो एसपी ऑफिस में जगपाल ने कराये थे। प्रमाणित चिट नमूना सील प्रदर्शपी 9 है। एसएचओ की

तहरीर प्रदर्शपी 20 है। जिस पर ए से बी संलग्न दस्तावेजात की सूची का अंकन है। अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्शपी 21 है। जिस पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है जो एसपी ऑफिस में जगपाल ने करवाये थे। प्रमाणित चिट नमूना सील डीएस नाम की प्रदर्शपी 22 है। पीएसपीए नाम की प्रदर्शपी 23 है। पैकट मार्क ए.डी. एक्स व एम जब तक इसके पास रहे सील्ड अवस्था में रहे व सिल्ड अवस्था में ही इसने एफएसएल जयपुर में जमा कराये।

28. पी.ड.14 रामभज ने अपनें सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 3.05.14 को वह पीएस जवाहर नगर श्रीगंगानगर में एचसी के पद पर कार्यरत था। मालखाना इन्चार्ज राजेन्द्र कुमार थाना से बाहर कहीं गये हुये थे। मालखाना का चार्ज इसे देकर गये थे। उस दिन अनुसन्धान अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने इसे मुकदमा नम्बर 272/14 पीएस जवाहर नगर श्रीगंगानगर का वजह सबूत सील्ड सैम्पल पैकेट्स मार्क एम. ओ. पी. क्यू व आर मालखाना में रखने हेतु दिये। इसने माल मालखाना में रखकर मालखाना रजिस्टर कमांक 971/186 पर इन्द्राज किया। जो प्रदर्शपी 47 है। जिसकी नकल पत्रावली में मौजूद है। जो प्रदर्शपी 47 ए है। जिन पर ए से बी माल रखने का इन्द्राज, सी से डी जमा कराने वाले अधिकारी धीरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर एकेबी नाम की सील का इम्प्रैशन है। ई से एफ मुकदमा अनवान, नम्बर, दिनांक धारा व थाना अंकित है। दिनांक 4.05.14 को एसएचओ के निर्देशानुसार विशेष वाहक मनोज कुमार एफसी 900 को इस प्रकरण का वजह सबूत सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात जिसमें जारी शुदा अग्रेषण पत्र तथा सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क एक्स व एम मय दस्तावेजात जिसमें दो प्रतियां फर्द बरामदगी, दो प्रतियां एफआईआर, तीन प्रतियां चिट नमूना सील व दो तहरीर एसएचओ की एसपी के नाम की देकर हिदायत दी कि एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वास्ते जांच एफएसएल जयपुर में जमा कराकर आवे। विशेष वाहक को पैकेट देने का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्शपी 47 पर जी से एच किया। जिसके नीचे आई से जे इसके व के से एल विशेष वाहक मनोज कुमार राणा के हस्ताक्षर है। विशेष वाहक मनोज कुमार राणा एफसी चारो सील्ड पैकेट्स ए.डी.एक्स. व एम एफएसएल जयपुर में जमा कराके दिनांक 7.05.14 को वापिस थाना आया। जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी 44 व प्रदर्शपी 45 लेकर आया। जिसका इन्दाज मालखाना रजिस्टर प्रदर्शपी 47 में एम से एन किया। जिसके नीचे आई से जे मेरे व के से एल विशेष वाहक मनोज कुमार राणा के हस्ताक्षर है। प्रदर्शपी 44 व 45 इसने आईओ को सुपूर्द कर दी थी। पैकेट्स मार्क ए.डी.एक्स.एम जब तक इसके पास रहे सील्ड अवस्था में रहे व सील्ड अवस्था में ही इसने विशेष वाहक मनोज कुमार को सुपुर्द किये।

29. पी.ड. 17 राजेन्द्र प्रसाद ने अपने सशपथ कथनों में कथनकिया है कि दिनांक

01.05.14 को वह पुलिस थाना जवाहरनगर में मालखाना इन्चार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रशिक्षु आईपीएस एसएचओ जययादव ने मुझे मुकदमा नम्बर 272/14 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पीएस जवाहरनगर का वजह सबूत सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी अजाने मुलजिमान भूपेन्द्र कुमार व वरूण कुमार व जामा तलाशी में मिला सामान सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु इसके सुपुर्द किया। इसने माल मालखाना में रखकर मालखाना रजिस्टर कमांक 971/186 पर इन्द्राज किया जो प्रदर्शपी 47 है, जिसकी नकल पूर्व से ही पत्रावली में 47 ए है. जिन पर ओ से पी माल रखने का इन्द्राज है. ई से एफ मुकदमा अनवान, नम्बर, दिनांक धारा व थाना अंकित है, क्यू से आर जमा कराने वाले अधिकारी जययादव के हस्ताक्षर है। दिनांक 02.05.14 को अनुसन्धान अधिकारी धिरेन्द्र सिंह ने उसे इसी मुकदमें का वजह सबूत अजाने मुलजिम राम भरोसे सील्ड पैकेट्स एक्स और वाई मालखाना में रखने हेतु मेरे सुपुर्द किये। इसने माल मालखाना में रखकर मालखाना रजिस्टर प्रदर्शपी 47 पर एस से टी इन्द्राज किया, सी से डी जमा कराने वाले अधिकारी आईओ धिरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। दिनांक 02.05.14 को एसएचओ के निर्देशानुसार इस प्रकरण का वजह सबूत सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात जिसमें दो तहरीर एसएचओ की एसपी के नाम की दो प्रतियां एफआईआर, दो प्रतियां फर्द बरामदगी, तीन प्रतियां चिट नमूना सील विशेष वाहक मनोज कुमार को देकर हिदायत दी कि एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वास्ते जांच जमा कराकर आवें । विशेष वहाक को पैकेट्स देने का इन्द्राज प्रदर्शपी 47 पर यू से वी किया, जिसके नीचे के से ख विशेष वाहक मनोज कुमार व ग से घ इसके हस्ताक्षर है। दिनांक 02.05.14 को ही विशेष वाहक एसपी कार्यालय से वापिस आया व पैकेट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात व जारी शुदा अग्रेषण पत्र उसे वापिस जमा कराया व बताया कि एफएसएल में अवकाश है। इसने माल मालखाना में रखकर मालखाना रजिस्टर प्रदर्शपी 47 पर ए1 से बी1 इन्द्राज किया जिसके नीचे के से ख विशेष वाहक मनोज कुमार व ग से घ इसके हस्ताक्षर है। दिनांक 02.05.14 को शाम को वह अवकाश पर जाते समय मालखाना का चार्ज रामभज को देकर गया था। पैकेट मार्क ए व डी जब तक इसके पास रहे सील्ड अवस्था में रहे व सील्ड अवस्था में ही इसने विशेष वहाक मनोज कुमार को सुपुर्द किये।

30. पी.ड. 22 धीरेन्द्र सिह ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 01.05.2014 को यह पुलिस थाना पुरानी आबादी में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एफआईआर संख्या 272/14, धारा 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट, पुलिस थाना जवाहरनगर की पत्रावली व मुलजिम वरूण कुमार, भूपेन्द्र चौधरी अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा

गवाहान जय यादव, गजेन्द्र सिंह. जीवराज एचसी, प्रमोद कुमार, हरीओम, कैलाश, दरिया सिंह, विनोद कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, रामभज शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, जगतपाल, अनिल कुमार ओमप्रकाश के पुलिस बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 01.05.2014 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका जय यादव जब्तीकर्ता की निशानदेही से जीवराज सिंह व नेतराम के समक्ष तैयार किया था जो प्रदर्शपी 49 है, हालात मौका प्रदर्शपी 49 ए है। दिनांक 02.05.2014 को गिरफतारशुदा भूपेन्द्र कुमार ने पुलिस थाना जवाहरनगर पर स्वेच्छा से इतला दी कि" मेरे व वरूण कुमार से जो अफीम बरामद हुई, उन दोनों को अफीम रामभरोसे उर्फ कालूराम ने भोपालगढ जिला जोधपुर से लाकर दी थी, जो आज आजाद टाकिज के पास अफीम के पेसे लेने आने वाला है, जिसको मैं आपके साथ चलकर बता सकता हूं, फर्द इतला इसके द्वारा तैयार की गई, जो प्रदर्शपी 77 है। उक्त इतला की तस्दीक के लिए मुलजिम भूपेन्द्र के कहे अनुसार आजाद टाकिज पहुंचे वहां पहुंचने पर आजाद टाकिज के सामने एक व्यक्ति खडा था, उसके हाथ लगाकर भूपेन्द्र ने बताया कि यही रामभरोसे उर्फ कालूराम है, जिसने हमें अफीम लाकर दी थी। दिनांक 02.05.2014 को रामभरोसे उर्फ कालूराम के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर इसके द्वारा आरोपी रामभरोसे को जीवराज सिंह व मनफूल के समक्ष धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर गिरफतारी के कारणों से अवगत करवते हुए जरिये फर्द गिरफतारी गिरफतार किया था। नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्शपी 27 है, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रदर्शपी 28 है। फर्दानुसार हस्ताक्षर हैं।

31. पी.ड. 22 धीरेन्द्र सिह ने अपने सशपथ कथनों में यह भी कथन किया है कि मुलजिम रामभरोसे से दौराने गिरफतारी व जामा तलाशी में मुलजिम की पहनी पेंट की दाई जेब में एक कागज की पूडिया मिली, एक पोलीथीन की थैली मिली, जिसको इसके द्वारा चैक किया गया, तो काले से रंग का पदार्थ था, मैने स्वंय देखा व साथी जीवराज व मनफूल को दिखाया तो सभी ने अनुभव के आधार पर अफीम होना बताया। तत्पश्चात मुलजिम रामभरोसे से अवैध अफीम के बारे में लाईसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो रामभरोसे ने नहीं होना बताया। उसके बाद रामभरोसे के पास मिली, अफीम का कम्प्यूटर कांटे से वजन किया तो वजन 50 ग्राम हुआ। बरामद अफीम को उसी बरामदा प्लास्टिक की थेली में रहने दिया जाकर उसी कागज में रखकर एक प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर एक सफेद कपडा की थैली में डालकर सील मोहर कर पेकेट पर मार्क एक्स अंकित किया। सीलिंग की कार्यवाही में इसके नाम की व्यक्तिगत सील अंग्रेजी अक्षर डीएस का प्रयोग किया गया था। तीन चिट नमूना सील बनाने के बाद सीलींग की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात सील को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर अनुसंधान

बॉक्स में रखी एक अन्य सील अंग्रेजी अक्षर पीएसपीए नाम की सील से सील मोहर कर पेकेट पर मार्क वाई अंकित किया। समस्त बरामदगी की कार्यवाही करके वे वापिस थाना जवाहरनगर आ गये। फर्द बरामदगी प्रदर्शपी 29 है। उसी रोज इसके द्वारा मुलजिम रामभरोसे से बरामद अफीम बरामदगी स्थल पर नक्शा मौका जीवराज सिंह व मनफूल के समक्ष तैयार किया गया, जो प्रदर्शपी 30 है जिसका हालात मौका प्रदर्शपी 30ए है, चिट नमूना सील प्रदर्शपी 22 है। दिनांक 03.05.2014 को गिरफतारशुदा मुलजिम रामभरोसे ने इसे स्वेच्छा से इतला दी कि मैं भूपेन्द्र कुमार के साथ रात्रि के समय उसके नाना के खाली मकान में रूका था, उस मकान में मैंने अफीम छुपाकर रखी है, जो साथ चलकर बता सकता हूं। फर्द इतला प्रदर्शपी 73 है जिसकी सूचना दिनांक 03.05.2014 को इसके द्वारा धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट की पालना में विशेष वाहक राजपाल के माध्यम से सीओ शहर को भेजी गई थी, उक्त सूचना प्रदर्शपी 13 है। उक्त इतला की तस्दीक व बरामदगी के लिए स्वतंत्र मोतबिर तलब कर लाने के लिए ड्राइवर राजपाल को नोटिस बाबत तलबी स्वतंत्र गवाह दिया गया, जो प्रदर्शपी 73 है। थोडी देर में राजपाल दो गवाह लेकर वापिस आया, इसके द्वारा संदीप पुत्र ओमप्रकाश को स्वतंत्र गवाह बनने बाबत नोटिस दिया गया, जो प्रदर्शपी 39 है। इसके द्वारा निशांत पुत्र सतनाम को स्वतंत्र गवाह बनने बाबत नोटिस दिया गया, जो प्रदर्शपी 40 है। इतला की तस्दीक के लिए मकान मनीराम चौधरी वार्ड नंबर 10 कोडियोवाली पूली पुरानी आबादी श्रीगंगानगर पहुंचे, वहां पहुंचने पर मुलजिम रामभरोसे ने बताया कि यही मकान भूपेन्द्र के नाना का है. जो जर्जर अवस्था में है, जिसका गेट टूटा हुआ है, मुलजिम रामभरोसे ने आगे आगे चलकर मकान में प्रवेश कर सामने बरामदा के कमरा में जाकर कमरा में रखे बेग की चैन खोलकर उसके अंदर से एक थैली पारदर्शी जिसमें काला गाढा पदार्थ भरा हुआ था, जिसको निकालकर इसके समक्ष पेश किया, पोलीथीन की थैली, लॉक सिस्टम से बंद थी, जिसका मुख खोलकर इसने स्वंय व साथी जाब्ता को सुंघाया व दिखाया तो सभी ने अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ होना बताया। इसने आईओ बॉक्स मे रखे निजि कम्प्यूटर कांटा से तोल किया तो अफीम का शुद्ध वजन 735 ग्राम हुआ। जिसमें से 50–50 ग्राम अफीम पोलीथीन की लॉक सिस्टम की थैली में निकालकर अलग अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर सफेद कपडे की थैली में बतौर सैम्पल मार्क एम व कंट्रोल सैम्पल मार्क ओ अंकित किया। शेष अफीम 635 ग्राम को उसी पोलीथीन की थैली में एक प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखते हुए मार्क पी अंकित किया। उपरोक्त तीनों को सील मोहर चपडी किया गया। सील मोहर चपडी में उक्त सील पीएसपीए को फर्द पर अंकित किया व चिट नमूना तैयार की गई। सीलींग की कार्यवाही में प्रयुक्त सील को एक कपडा की थैली में डालकर एकेबी नाम की सील से सील मोहर कर मार्क क्यू अंकित किया गया। तत्पश्चात रामभरोसे से बेग बाबत पूछा तो

उसने उक्त बेग उसी का होना बताया, बेग को चैक किया तो उसमें एक जोडी कपडे, पेंट शर्ट, लक्ष्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की किताब व एक डीओ परफयूम मिला, जिसके बारे में रामभरोसे से पूछा तो उसने बताया कि अफीम बेग में रखकर लाने पर अफीम की खुशबू ना आये, इसलिए बेग में परफयूम रखते है। उक्त सामान सहित उस बेग को एक सफेद कपडा की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क आर अंकित किया। फर्द बरामदगी प्रदर्शपी 34 है। फर्दानुसार हस्ताक्षर हैं।

32. पी.ड. 22 धीरेन्द्र सिह ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि उसी रोज भूपेन्द्र के नाना के मकान से बरामदा अफीम नक्शा मौका इसके द्वारा मुलजिम रामभरोसे की निशानदेही से संदीप व निशांत के समक्ष तैयार किया गया, जो प्रदर्शपी 35 है, जिसका हालात मौका प्रदर्शपी 35ए है। चिट नमूना सील प्रदर्शपी 74 है। दिनांक 04.05.2014 को उक्त प्रकरण की धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की पालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट तहरीर दो प्रतियों में तैयार कर मेरे द्वारा विशेष वाहक को देकर एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर हेतु देकर स्वाना किया जहां उपस्थित एसपी साहब को एक प्रति देकर दूसरी पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर करवाकर उक्त प्रति थाना लाकर इसको सुपुर्द की, उक्त प्रति प्रदर्शपी 16 है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शपी 75, 76 है, एफएसएल रसीद प्रदर्शपी 44, 45 है। उक्त अफीम मुलजिम रामभरोसे द्वारा हनुमानाराम खोत निवासी भोपालगढ जोधपुर से लाना बताया था। जिस पर थाना से रवाना होकर हनुमानाराम के निवास रोही भोपालगढ पहुंचकर तलाशी की लेकिन मौजूद नहीं मिला। हनुमानाराम के मकान का नक्शा मौका नेतराम व धर्मपाल के समक्ष तैयार किया गया, जो प्रदर्शपी 72 है हालात मौका प्रदर्शपी 72ए है। इसकी रवानगी व आमद की रोजनामचा रपटें प्रदर्शपी 78 से 88 है। दौराने साक्ष्य न्यायालय में सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क एक्स पेश हुआ, जिस पर एफएसएल विभाग की सील लगी हई है. जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 8 है। दौराने साक्ष्य न्यायालय में सील्ड पैकेट मार्क वाई पेश हुआ, जिस पर न्यायालय की सील लगी हुई है. जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 9 है। दौराने साक्ष्य न्यायालय में सील्ड पैकेट मार्क एम पेश हुआ, जिस पर एफएसएल की सील लगी हुई है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 10 है। दौराने साक्ष्य न्यायालय में सील्ड पैकेट मार्क ओ पेश हुआ जिस पर न्यायालय की सील लगी हुई है जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील

चस्पा है, जो आर्टिकल 11 है, दौराने साक्ष्य न्यायालय में सील्ड पैकेट मार्क पी पेश हुआ, जिस पर न्यायालय की सील लगी हुई है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 12 है, दौराने साक्ष्य न्यायालय में सील्ड पैकेट मार्क क्यू पेश हुआ, जिस पर न्यायालय की सील लगी हुई है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल–13 है, दौराने साक्ष्य न्यायालय में सील्ड पैकेट मार्क आर पेश हुआ, जिस पर न्यायालय की सील लगी हुई है, जिस पर मुकदमा का अनवान अंकित है तथा लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित है, चिट दस्तख्ती नमूना सील चस्पा है, जो आर्टिकल 14 है। बाद अनुसंधान इसके द्वारा भूपेन्द्र कुमार चौधरी, वरूण कुमार, रामभरोसे के विरूद्ध जुर्म धारा 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट प्रमाणित मानकर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली थानाधिकारी जवाहरनगर को प्रेषित कर दी। फर्दानुसार हस्ताक्षर हैं। _

33. जहां तक हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त वरूण कुमार से हुई प्रश्नगत बरामदगी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में बरामदगीकर्ता गवाह पी०ड० 20 जय यादव ने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 01.05.2014 को वह पुलिस थाना जवाहर नगर श्रीगांगनगर में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन इसके राजकार्य करते हुए जरिये मुखबिर खास से इतला मिली कि दो व्यक्ति जिनमें एक का नाम भूपेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र मनीराम एवं दूसरा वरूण कुमार पुत्र लालचंद आकर आज एन ब्लॉक इन्द्रा पार्क श्रीगंगानगर में उत्तरी पूर्वी कौना में पीपल के पेड के नीचे किसी ग्राहक को अफीम की सप्लाई देने वाले है, अगर दबिश देकर उनकी तलाशी ली जावे तो उनके कब्जा से मादक पदार्थ अफीम की भारी मात्रा में बरामदगी हो सकती है। उक्त ईतला विश्वसनीय होने के कारण इसके द्वारा तैयार की जाकर धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की पालना में तहरीर दो प्रतियों में तैयार कर सीओ साहब वृत शहर श्रीगंगानगर को देकर आने हेतु कैलाश एफसी को समय 8.10 एएम पर रवाना किया गया तथा समय 8.20 एएम पर साथी जाब्ता को मुखबिर इतला से अवगत करवाकर वह अपने साथ जीवराज सिंह, गजेन्द्र सिंह एसआई, प्रमोद कुमार एफसी, हरिओम एफसी जीप सरकारी चालक प्रवीण कुमार मय तफ्तीश का सामान कम्प्यूटर कान्टा आदि लेकर रवाना हुआ। एन ब्लॉक में स्थित इन्द्रा पार्क में करीब 8.30 एएम पर हम पहुंचे तो देखा कि मुताबिक ईतला दो व्यक्ति इन्द्रा पार्क के अन्दर उत्तरी पूर्वी कौना में पीपल के पेड के नीचे दो व्यक्ति जिनके कन्धों पर एक–एक बैग लटका हुआ था, बैठे दिखे जो पुलिस पार्टी को बावर्दी देखकर हड़बड़ाये तो इसने हमराह जाब्ता की मदद से दोनों को घेरा देकर काबू किया। काबू किये व्यक्तियों

से इसने नाम–पता पूछा तो एक ने अपना नाम भूपेन्द्र चौधरी व दूसरे ने अपना नाम वरूण कुमार होना बताया।

34. पी.ड.20 जय यादव ने सशपथ कथनों में यह भी कथन किया है कि आरोपी वरूण कुमार के कंधा पर रखे बैग को कब्जा में लेकर चैक किया तो बैग के अन्दर से एक पोलीथीन की थैली मिली, जिसमें काले से रंग का गाढा सा पदार्थ भरा हुआ था। थैली को खोलकर देखा–दिखाया व सूंघा–सूघाया तो सभी ने अफीम होना बताया। आरोपी वरूण कुमार से अपने कब्जा में अफीम रखने का लाईसेन्स परमिट का पूछा तो वरूण कुमार ने नहीं होना बताया। आरोपी वरूण कुमार से बरामदा अफीम का कम्प्यूण्टर कान्टा से वजन किया तो बरामद अफीम का शुद्ध वजन 500 ग्राम हुआ। बरामद अफीम में से 50–50 ग्राम अफीम बतौर सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल अलग–अलग प्लास्टिक की थैली में निकालकर अलग–अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर अलग–अलग सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर सैम्पल पैकेट पर मार्क डी व कन्ट्रोल सैम्पल पैकेट पर मार्क ई अंकित किया। बाकी बची अफीम को उसी बरामदा प्लास्टिक की थैली में रहने दिया जाकर एक प्लास्टिक के डिब्बा में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर बतौर वजह सबूत सील मोहर कर पैकेट पर मार्क एफ अंकित किया। **इस गवाह की साक्ष्य की पुष्टि बरामदगी के अन्य गवाहान पी.ड. 11 प्रमोद कुमार , पी.ड. 16 जीवराज सिंह ,पी.ड. 19 गजेन्द्र सिंह ने की है।** उक्त अभियोजन साक्षीगण से बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत प्रति परीक्षा की गई है, किन्तु मामूली फेरफार के अतिरिक्त अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य इस बाबत कोई ऐसा विरोधाभास होना दर्शित नहीं होता है, जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वास किए जाने योग्य न रह जाती हो। अभियुक्त के कब्जा से बरामदगी नहीं हुई हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं हुई है और ना ही कोई खण्डन अभियुक्त की ओर से किया गया है।

35. जहां तक इस प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान के पक्षद्रोही होने व अन्य गवाहान पुलिस कर्मचारी हैं , हितबद्ध साक्षी हैं एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क कि प्रकरण में जो दस्तावेजात प्रदर्श पी24, 25,26, 31,32 एवं 33 प्रदर्शित हुए हैं, उन पर गवाहान के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, उनका मौका पर तैयार किया जाना सन्देहजनक है इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया । इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत– 2006 क्रि.लॉ.रि. एस.सी. 713 एस. सुदर्शन रेड्डी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि चाहे किसी साक्षी की साक्ष्य का बड़ा भाग भी कमजोर हो और शेष भाग दोषसिद्धि करने के लिए पर्याप्त हो, तो उस शेष भाग को काम में लिया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी राजकुमार पी.ड.1 ने नोटिस गवाह प्रदर्श पी1, धारा 50 का नोटिस भूपेन्द्र प्रदर्श पी 2,

नोटिस धारा 50 मुलजिम वरूणकुमार प्र.पी.3. नोटिस धारा 52 मुलजिम भूपेन्द्र कुमार प्र.पी.4. मुलजिम वरुणकुमार प्र.पी.5. चिट नमूना सील प्र.पी.6. कार्बन प्रति प्र.पी.6ए. फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम भूपेन्द्रकुमार प्र.पी.7, मुलजिम वरूणकुमार प्र.पी.8. एसपी से प्रमाणित चिट नमूना सील प्र.पी.9, फर्द बरामदगी प्र. पी.10 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है ।

36. पी.ड. 18 ओमप्रकाश ने नोटिस गवाह प्रदर्श पी.48 नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट आरोपी भूपेन्द्र कुमार प्रदर्श पी.02, आरोपी वरूण कुमार प्रदर्श पी.03 नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट आरोपी भूपेन्द्र कुमार प्रदर्श पी.04, आरोपी वरूण कुमार प्रदर्श पी.05 प्रत्येक पर ई से एफ, नमूना चिट सील प्रदर्श पी.6 व 6ए , फर्द गिरफ्तारी आरोपी भूपेन्द्र कुमार प्रदर्श पी.07, आरोपी वरूण कुमार प्रदर्श पी.08 प्रमाणित चिट नमूना सील प्रदर्श पी.09 फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.10 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

यह सही है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही हुए हैं और इन गवाहान ने अभियुक्त वरूण कुमार से बरामदगी की पुष्टि नहीं की है , लेकिन स्वतंत्र गवाहान द्वारा फर्द बरामदगी व अन्य दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है उनके हस्ताक्षर पुलिस द्वारा डरा धमकाकर दबाव देकर करवाये गये हों, ऐसे कोई कथन स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपने बयानों में नहीं किये गये हैं ऐसी स्थिति में स्वतंत्र गवाहान के फर्द बरामदगी व अन्य दस्तावेजात पर हस्ताक्षर होने से तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहान द्वारा बरामदगी की पुष्टि किये जाने से अभियुक्त वरूण कुमार कुमार से 500 ग्राम अफीम की बरामदगी की पुष्टि होती है, स्वतंत्र गवाहान द्वारा अफीम बरामदगी नहीं होने के सम्बन्ध में किये गये कथन After thought प्रतीत होता है। अतः गवाहान के पक्षद्रोही होने से अभियोजन मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि प्रकरण में अन्य सकारात्मक साक्षीगण मौजूद हैं। पी०ड० 20 जय यादव बरामदगी अधिकारी की अभियुक्त से की गई बरामदगी के सम्बन्ध में उसकी महत्वपूर्ण साक्ष्य के अनुसार तलाशी में कोई अवैधानिकता नहीं है। अवैधानिकता एवं अनियमितता में बड़ा अंतर होता हैं, अवैधानिकता तो कानून की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में होती है, जबकि अनियमितता छोटे–मोटे दोष होते हैं, जिनकी वजह से सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित **न्यायिक दृष्टान्त –बिपिन कुमार मोण्डाल विरूद्ध स्टेट ऑफ वैस्ट बंगाल 2010 क्रि.लॉ.रि. एस.सी. पेज 643 (डीबी)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्षीगण की मात्रा नहीं देखी जानी चाहिए बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जानी चाहिए। पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त से पुलिस की कोई रंजिश हो, और वे हितबद्ध साक्षी हों। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की

ओर से स्वतंत्र गवाह के पक्षद्रोही होने व पुलिस कर्मचारी/ अधिकारी के गवाहान होने के सम्बन्ध में दिया गया तर्क अस्वीकार किया जाता है।

37. जहां तक विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि दस्तावेजात पर जो गवाहान के हस्ताक्षर हैं वे उनके हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं इस सम्बन्ध में भी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर जिन दस्तावेजों पर गवाहान ने अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है वे साक्ष्य में प्रदर्शित हुए हैं तथा बचाव पक्ष की ओर से गवाहान से इस आशय का कोई प्रश्न नहीं किया गया है कि ये हस्ताक्षर उनके हैं अथवा नहीं । इसके अलावा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से गवाहान के हस्ताक्षर की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में या हस्ताक्षर भिन्न होने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिया तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

38. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा न्यायिक दृष्टांत **2013 (4) Crimes 4 (SC) Gian Chand & Ors. Vs. State of Haryana** पेश किया गया है , जिसका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । इस न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त के अनन्य कब्जे से कोई नशीला पदार्थ बरामद होता है तो यह उपधारणा की जाती है कि उसने अपराध कारित किया है और हस्तगत प्रकरण में भी आरोपी के अनन्य कब्जे से नशीली पदार्थ अफीम की बरामदगी हुई है । अतः यह साबित करने का भार अभियुक्त वरूण कुमार पर शिफ्ट हो जाता है कि वह यह साबित करे कि उससे किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त वरूण कुमार के अनन्य कब्जे से प्रस्तुत साक्षियों से नशीला पदार्थ अफीम बरामद होना स्पष्ट हुआ है और अभियुक्त अन्यथा रूप से यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके पास से नशीला पदार्थ अफीम की बरामदगी नहीं हुई है। अंतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होता है। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त हुई बरामदगी को सन्देह से परे साबित किया है।

39. इस प्रकार उक्त साक्षीगण 11 प्रमोद कुमार , पी.ड. 16 जीवराज सिंह , पी.ड. 19 गजेन्द्र सिंह की साक्ष्य से अभियुक्त वरूण कुमार के कब्जा से पोलीथीन की थैली में 500 ग्राम अफीम बरामद होना प्रकरण पर प्रमाणित होता है।

40. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण में अधिनियम की धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत मुखबिर की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों नहीं भेजी गई है, इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पी.ड. 20 जय यादव एसएचओ ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 01.05.2014 को इसके राजकार्य करते हुए जरिये मुखबिर खास से इतला

मिली कि दो व्यक्ति जिनमें एक का नाम भूपेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र मनीराम एवं दूसरा वरूण कुमार आकर आज एन ब्लॉक इन्द्रा पार्क श्रीगंगानगर में उत्तरी पूर्वी कौना में पीपल के पेड़ के नीचे किसी ग्राहक को अफीम की सप्लाई देने वाले है, अगर दबिश देकर उनकी तलाशी ली जावे तो उनके कब्जा से मादक पदार्थ अफीम की भारी मात्रा में बरामदगी हो सकती है। उक्त ईतला विश्वसनीय होने के कारण इसके द्वारा तैयार की जाकर धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की पालना में तहरीर दो प्रतियों में तैयार कर सीओ साहब वृत शहर श्रीगंगानगर को देकर आने हेतु कैलाश एफसी को समय 8.10 एएम पर रवाना किया गया, धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी 32 है।

गवाह पी.ड. 7 कैलाशचन्द्र ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 1–5–2014 को प्रशिक्षु आईपीएस एसएचओ जवाहरनगर जययादव ने उसे इस प्रकरण की मुखबीर इत्तिला दो प्रतियों में देकर हिदायत दी कि एक प्रति सीओ सिटी श्रीगंगानगर को देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाकर लावें। थाने से इसकी रवानगी का इन्द्राज रोजनामचा प्रदर्शपी 31 है, सीओ सिटी कार्यालय नौ बजे पहुंचकर इसने मुखबीर इत्तिला की दोनों प्रतियां सीओ राजेन्द्र ढिढारिया को पेश की। जिन्होंने एक प्रति रख ली। दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कर इसे वापिस लौटा दी जो प्रदर्शपी 32 है। जिस पर ए से बी सीओ सिटी राजेन्द्र डिढारिया के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय दिनांक व समय अंकित है। प्रदर्शपी 32 लेकर वह थाना पर 09:30 एएम पर पहुंचा व प्रदर्शपी 32 इसने जय कुमार यादव को उनके थाना पर आने पर 11:30 एएम पर सुपुर्द कर दी थी।

इस प्रकार गवाह पी.ड.20 जय यादव व पी.ड. 7 कैलाशचन्द्र व मुखबिर इत्तला प्रदर्श पी 32 के अनुसार वृताधिकारी अधिकारी वृत शहर, श्रीगंगानगर द्वारा मुखबिर इत्तला दिनांक 1–5–2014 को 9.00 ए एम पर प्राप्त कर ली गई थी इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिया गया तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

41. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क कि बरामदगी अधिकारी ने तलाशी से पूर्व अभियुक्त वरूण कुमार को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस विधिनुसार देकर उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत नहीं करवाया इस प्रकार बरामदगी की कार्यवाही, विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने के कारण दूषित हो जाती है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड. 20 जय यादव ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि इसने अभियुक्त वरूण कुमार को अवगत करवाया कि मुझे विश्वास है कि आपके पास मादक पदार्थ अफीम हो सकती है। तलाशी की कार्यवाही करनी है, आपको कानूनी अधिकार है आप अपनी तलाशी किसी

राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते है। इसने आरोपी को धारा 50 एनडीपीएस का लिखित में नोटिस दिया। आरोपी ने अपने नोटिस पर अपनी तलाशी इसको देने की लिखित मे सहमति दी। गवाहान 11 प्रमोद कुमार पी.ड. 16 जीवराज सिंह , पी.ड.19 गजेन्द्र सिंह ने पी.ड. 20 जय यादव बरामदगीकर्ता अधिकारी के कथनों की पुष्टि की है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान पेश हुए हैं उनके कथनों से आरोपी को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाना स्पष्ट है।

42. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि S.50 NDPS Act Applies only to personal searches and not to searches of bags carried by the person. हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से कोई बरामदगी नहीं हुई है उसके कब्जा की थैली से बरामदगी हुई है अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित बिन्दु के अनुसार धारा 50 एन.डी.पी.एस. का नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिया गया तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

43. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण में अधिनियम की धारा 52 की विधिवत पालना नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस अभियुक्त वरूण कुमार को जारी किया गया है और गवाह पी.ड.20 जय यादव ने साक्ष्य में अभियुक्त वरूण कुमार को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 05 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी 5 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिया गया तर्क कि प्रकरण में धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

44. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क कि प्रकरण में अधिनियम की धारा 57 की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनियम की धारा 57 के अनुसार बरामदगी व गिरफ्तारी के 48 घण्टों के भीतर उच्च अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजा जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त से बरामदगी दिनांक 1–5–2014 को 10.00 ए एम से 11.30 ए एम के मध्य हुई है। पी.ड. 20 जय यादव ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 3–5–2014 को प्रकरण की धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की पालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार कर इसके द्वारा विशेष वाहक को देकर एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर हेतु रवाना किया जहां

उपस्थित एसपी को एक प्रति देकर दूसरी पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर करवाकर उक्त प्रति थाना लाकर इसको सुपुर्द की उक्त प्रति प्रदर्श पी 37 है, जिसपर सी से डी इसके हस्ताक्षर हैं , ए से बी स्थानपर एसपी के प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। गवाह पी.ड. 9 दरिया सिंह ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 2–5–2014 को इस प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट धारा 57 एनडीपीएस एक्ट के तहत एसएचओ जय यादव ने दो प्रतियों में देकर हिदायत दी कि एक प्रति एसपी श्रीगंगानगर को देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कराके लावें। इसने एसपी कार्यालय पहुंचकर इसने दोनो प्रतियां कार्यवाहक एसपी मनोजकुमार के पेश की जिन्होंने एक प्रति रख ली व दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कर इसे वापिस कर दी। हस्ताक्षरयुक्त प्रति प्रदर्शपी 37 है जिस पर ए से बी कार्यवाहक एसपी मनोजकुमार के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय दिनांक व समय अंकित है। प्रदर्शपी 37 लेकर वह थाना पर 10:30 एएम पर पहुंचा थाना पहुंचकर प्रदर्शपी 37 इसने एसएचओ के सुपुर्द कर दी। इस प्रकार पी.ड. 20 जय यादव व पी.ड. 9 दरिया सिंह की साक्ष्य व तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी 37 के अनुसार एसपी द्वारा दिनांक 2–5–2014 को 10.00 ए एम पर प्राप्त कर ली गई थी। ऐसी स्थिति में बरामदगी से 48 घण्टों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट बरामदगी अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजा जाना साबित है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता का अधिनियम की धारा 57 के सन्दर्भ में दिया गया तर्क भी अस्वीकार किया जाता है।

45.. जहां तक एफएसएल में सैम्पल सील्ड व सुरक्षित हालत में पंहुचने व बरामदशुदा पदार्थ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ होने का प्रश्न है , इस सम्बन्ध में बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड. 20 जय यादव ने अभियुक्त वरूण कुमार से बरामदगी की कार्यवाही के समय 500 ग्राम अफीम में 50–50 ग्राम अफीम बतौर सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल अलग अलग प्लास्टिक की थैली में निकालकर अलग अलग प्लास्टिक की की डिब्बी में रखकर अलग अलग सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर सैम्पल पैकेट मार्क डी व कंट्रोल सैम्पल पैकेट पर मार्क ई अंकित करना, शेष बची अफीम को उसी बरामदा प्लास्टिक की थैली में रहन दिया जाकर एक प्लास्टिक की डिब्बा में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर बतौर वजह सबूत सील मोहर कर पैकेट पर मार्क एफ अंकित करना कथन किया है। गवाह पी.ड. 17 राजेन्द्र प्रसाद ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 1–5–2014 को वह पुलिस थाना जवाहरनगर में मालखाना इंचार्ज के पद पर था। उस दिन एसएचओ जय यादव ने इसे इस मुकदमा का वजह सबूत सील्ड पैकेट मार्क ए,बी,सी,डी, ई, एफ, जी अजाने मुल्जिमान भूपेन्द्र कुमार व वरूण कुमार व जामा तलाशी में मिला सामान सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु इसके सुपुर्द किया । इसने माल मालखाना में

रखकर रजिस्टर क्रमांक 971/186 पर इन्द्राज प्रदर्श पी 47 किया । दिनांक 2–5–2014 को एसएचओ के निर्देशानुसार इस प्रकरण का वजह सबूत सील्ड पैकेट मार्क् ए व डी मय दस्तावेजात जिसमें दो तहरीर एसएचओ की एसपी के नाम की, दो प्रतियां एफआईआर, दो प्रतियां फर्द बरामदगी, तीन प्रतियां चिट नमूना सील विशेष वाहक मनोज कुमार केा देकर हिदायत दी कि एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वास्ते जांच जमा कराकर आवें । विशेष्ज्ञ वाहक को पैकेट्स देने का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 47 पर यू से वी किया जिस पर क से ख विशेष वाहक मनोज कुमार व ग से घ इसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 2–5–2014 को ही विशेष वाहक एसपी कार्यालय से वापिस आया व पैकेट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात व जारीशुदा अग्रेषण पत्र इसे वापिस जमा कराया व बताया कि एफएसएल में अवकाश है। इसने माल मालखाना में रखकर मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 47 पर ए 1 से बी 1 इन्द्राज किया जिस पर क से ख विशेष वाहक मनोज कुमार व ग से घ इसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 2–5–2014 को शाम को अवकाश पर जाते समय मालखाना का चार्ग्ज रामभज को देकर गया पैकेट जबतक इसके पास रहे सील्ड अवस्था में रहे व सील्ड अवस्था में ही इसने विशेष वाहक मनोज कुमार को सुपुर्द किये। गवाह पी.ड. 14 रामभज तत्कालीन एचसी ने कथन किया है कि दिनांक 4.05.14 को एसएचओ के निर्देशानुसार विशेष वाहक मनोज कुमार एफसी 900 को इस प्रकरण का वजह सबूत सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात जिसमें जारी शुदा अग्रेषण पत्र तथा सील्ड सैम्पल पैकेट मार्क एक्स व एम मय दस्तावेजात जिसमें दो प्रतियां फर्द बरामदगी, दो प्रतियां एफआईआर, तीन प्रतियां चिट नमूना सील व दो तहरीर एसएचओ की एसपी के नाम की देकर हिदायत दी कि एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वास्ते जांच एफएसएल जयपुर में जमा कराकर आवें। विशेष वाहक को पैकेट देने का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्शपी 47 पर जी से एच किया। जिसके नीचे आई से जे इसके व के से एल विशेष वाहक मनोज कुमार राणा के हस्ताक्षर है। विशेष वाहक मनोज कुमार राणा एफसी चारों सील्ड पैकेट्स ए,डी,एक्स, व एम एफएसएल जयपुर में जमा कराके दिनांक 7.05.14 को वापिस थाना आया। जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी 44 व प्रदर्शपी 45 लेकर आया। जिसका इन्दाज मालखाना रजिस्टर प्रदर्शपी 47 में एम से एन किया। जिसके नीचे आई से जे इसके व के से एल विशेष वाहक मनोज कुमार राणा के हस्ताक्षर है। प्रदर्शपी 44 व 45 इसने आईओ को सुपुर्द कर दी थी। पैकेट्स मार्क ए,डी, एक्स,एम जब तक इसके पास रहे सील्ड अवस्था में रहे व सील्ड अवस्था में ही इसने विशेष वाहक मनोज कुमार को सुपूर्द किये।

इस सम्बन्ध में गवाह पी.ड. 13 मनोज कुमार ने अपने सशपथ कथनों में दिनांक 2–5–2014 को वह पुलिस थाना जवाहरनगर में

एफसी के पद पर था। उस रेाज एसएचओ के निर्देशानुसार मालखाना इंचार्ज ने इसे इस मुकदमा का वजह सबूत सील्ड पैकेट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात जिसमें फर्द बरामदगी की दो प्रतियां, एफआईआर की दो प्रतियां, चिट नमूना सील की दो प्रतिया व दो प्रतिया तहरीर एसएचओ की एसपी के नाम की देकर हिदायत दी कि एसपी कार्यालय से एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वास्ते जांच जमा कराके आवें। थाना से इसकी रवानगी का इन्द्राज रोजनामचा कमांक 107 समय 3.00 पीएम पर दर्ज है जो प्रदर्शपी 41 है। जिसकी नकल पत्रावली में मौजूद है जो प्रदर्शपी 41 ए है जिन पर ए से बी इसकी रवानगी का इन्द्राज, सी से डी इसके हस्ताक्षर है। एसपी कार्यालय में परीक्षण विभाग में कार्यरत जगपाल को इसने सारे दस्तावेजात व पैकट मार्क का ए व डी सुपुर्द कर एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाने का निवेदन किया। जगपाल ने दस्तावेजात का अवलोकन किया। पैकट मार्क ए व डी के मुख पर लगी सील का मिलान साथ लाई चिट नमूना सील से किया। मिलान सही पाया गया। जगपाल सारे दस्तावेजात तथा पैकट मार्क ए व डी लेकर मनोज कुमार के पास गया। जगपाल ने उनके निर्देशानुसार अग्रेषण पत्र 3 प्रतियों में तैयार कर इसके हस्ताक्षर करवाये व जगपाल ने भी अपने लघु हस्ताक्षर किये। जगपाल सारे दस्तावेजात, तैयार किये गये अग्रेषण पत्र तथा पैकट मार्क ए व डी लेकर पुनः कार्यवाहक एसपी मनोज कुमार के पास गया। जिनके अग्रेषण पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर लाया व चिट नमूना सील प्रमाणित करवाकर लाया। जगपाल ने अग्रेषण पत्र कार्यालय के रजिस्टर कमांक 434 पर दर्ज कर इसको मूल अग्रेषण पत्र, एक प्रति एफआईआर एक प्रति फर्द बरामदगी, एक प्रमाणित चिट नमूना सील व पैकट मार्क ए व डी एफएसएल में जमा कराने हेतु दिये। इसके अलावा एक प्रमाणित चिट नमूना सील, अग्रेषण पत्र की एक कार्बन प्रति व एक तहरीर एसएचओ की आईओ को देने के लिए भी दी थी। एफएसएल मे 3 व 4 मई 2014 का अवकाश होने के कारण वह एसपी कार्यालय से थाना आ गया। थाना पहुंचकर इसने पैकट मार्क ए व डी मय दस्तावेजात मालखाना इन्चार्ज को सुरक्षित संभलायें। आईओ को देने वाले दस्तावेजात आईओ को दे दिये। इसने अपनी आमद का इन्द्राज रोजनामचा कमांक 113 समय 7.00 पीएम पर दर्ज किया जो प्रदर्शपी 42 है। जिसकी नकल पत्रावली में मौजूद है जो प्रदर्शपी 42 ए है जिन ए से बी इसकी आमद का इन्द्राज सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। वह दिनांक 4–5–2014 को जयपुर के लिए रवाना हो गया था व अगले दिन जयपुर पहुंचकर चारो पैकट ए, डी, एक्स व एम मय दस्तावेजात एफएसएल में जमा कराकर जमा कराने की प्राप्ति रसीद कमांक 5443 व 5444 दिनांक 5.05.14 की प्राप्त की जो प्रदर्शपी कमशः 44 व 45 है। दिनांक 7.05.14 को वह थाना वापस आया। थाना पहुंचकर इसने अपनी आमद का इन्द्राज रोजनामचा क्रमांक 437 समय 6.00 पीएम पर दर्ज किया। जो प्रदर्शपी 46 है। जिसकी नकल

पत्रावली में मौजूद है जो प्रदर्शपी 46 ए है। जिन पर ए से बी इसकी आमद का इन्द्राज सी से डी इसके हस्ताक्षर है। प्रदर्शपी **44** व 45 इसने मालखाना इन्चार्ज के सुपुर्द कर दी। आईओ को देने वाले दस्तावेजात इसने आईओ को दे दिये। एसएचओ की तहरीर प्रदर्शपी 18 है अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्शपी 19 है, जिस पर ए से बी विशेष वाहक मनोज कुमार के हस्ताक्षर है। जो एसपी ऑफिस में जगपाल ने कराये थे। प्रमाणित चिट नमूना सील प्रदर्शपी 9 है। प्रमाणित चिट नमूना सील डीएस नाम की प्रदर्शपी 22 है। पीएसपीए नाम की प्रदर्शपी 23 है। पैकट मार्क ए,डी. एक्स व एम जब तक इसके पास रहे सील्ड अवस्था में रहे व सिल्ड अवस्था में ही इसने एफएसएल जयपुर में जमा कराये।

इस प्रकार कैरियर पी.ड. 13 मनोज कुमार ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप् से कथन किया है कि वह मालखाना इंचार्ज से सैम्पल एफएसएल जांच हेतु सीलबन्द हालत में लेकर गया था और उसने सील हालत में ही पैकेट एफएसएल में जमा करवा दिये थे । मालखाना इंचार्ज ने भी कैरियर को सीलबन्द हालत में सैम्पल दिये जाने का कथन किया है और सैम्पल एफएसएल में सील्ड हालत में पहुंचा इसकी पुष्टि प्राप्ति रसीद से होती है तथा इसके अतिरिक्त एफएसएल रिपोर्ट में भी प्राप्त सैम्पल के पैकेट की सील अक्षुण पाई जाने का अंकन है। इस प्रकार प्रकरण पर बरामदशुदा वजह सबूत बरामदगी से लेकर एफएसएल पहुंचने तक सीलबंद व सुरक्षित हालत में पहुंचना प्रकरण पर प्रमाणित है। जहां तक बरामदशुदा पदार्थ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में एफएसएल रिपोर्ट संख्या FSL /Narco/374/140 दिनांक 31–3–2015 प्रदर्श पी 75 में पैकेट मार्क डी में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नशीला पदार्थ अफीम होने की सकारात्मक रिपोर्ट है।

46. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि गवाहान के कथनों में भारी विरोधाभास है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से कहीं ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास आना प्रकट नहीं हुआ है, जिससे कि सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पर ही अविश्वास किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई विरोधाभास भी नहीं है, जिससे किसी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायिक दृष्टांत** 2012 **(4) एस.सी.सी. 124 सम्पत कुमार बनाम इंस्पैक्टर ऑफ पुलिस** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विश्वसनीय गवाहान की साक्ष्य में मामूली विरोधाभास आना अवश्यम्भावी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति व प्रेक्षण में भिन्नता होती है। फलतः इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि के होते हुए योग्य अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्क अस्वीकार किया जाता है।

47. इसके अतिरिक्त न्यायालय ने सभी गवाहान की साक्ष्य पर विचार किया तो पाया कि कहीं कोई विसंगति , विचलन या संदेह नहीं है। यह तथ्य भी कि बरामदगीकर्ता अधिकारी ने अभियुक्त वरूण कुमार को किसी दूरवर्ती हेतुक से प्रेरित होकर प्रकरण में झूठा फंसा दिया हो, प्रकरण पर प्रमाणित नहीं हुआ है। गवाह पी.ड. 20 जय यादव द्वारा दिनांक 1–5–2014 को 10.00 ए एम से 11.30 ए एम के मध्य इन्द्रा पार्क श्रीगंगानगर से अभियुक्त वरूण कुमार के कब्जा से बैग में थैली से 500 ग्राम अफीम बरामद करना बताया है। उक्त रिकवरी के सम्बन्ध में कोई सन्देह होना दर्शित नहीं होता है। इस गवाह की साक्ष्य की पुष्टि बरामदगी के अन्य गवाहान पी.ड. 11 प्रमोद कुमार, 16 जीवराज सिंह पी.ड. 19 गजेन्द्र सिंह व अनुसंधान अधिकारी पी.ड 22 धीरेन्द्र सिंह ने भी अनुसंधान में प्रकरण की पुष्टि की है। एफएसएल रिपोर्ट दिनांकित 31–3–2025 प्रदर्श पी 75 के अनुसार भी अभियुक्त से बरामद सैम्पल पैकेट मार्क डी में अफीम होना पायी गई है। इस सम्बन्ध में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत – ज्ञानचन्द व अन्य बनाम हरियाणा राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985– Sections 35 and 54 r/w Section 106, Indian Evidence Act, 1872– Contraband found in possession of the appellants– Presumption of conscious possession arises– It is for the accused to prove to the contrary.

इस प्रकार प्रकरण पर यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त वरूण कुमार की ओर से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 35 व 54 का उन्मोचन नहीं किया गया हैं ।

48. इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत सन्दर्भित न्यायिक दृष्टान्तों व विधि के दृष्टिगत अभियोजन पक्ष अभियुक्त वरूण कुमार के विरुद्ध अधिनियम की धारा 8/18 का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। इस कारण अभियुक्त वरूण कुमार धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

49 जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक षड़यंत्र के , अधिनियम की धारा 8/18 सपठित धारा 29 के तहत, अपराध के आरोप का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण पर उपलब्ध बरामदगीकर्ता अधिकारी 20 जय यादव की साक्ष्य व अन्य गवाहान की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्त के साथ मिलकर अफीम सप्लाई किये जाने की इत्तला मिलने पर अभियुक्त के कब्जा से अफीम बरामद होना स्पष्ट हुआ इससे अभियुक्त का सप्लाई करने हेतु अन्य अभियुक्त के साथ आपराधिक षड़यंत्र की

रचना किया जाना भी सन्देह से परे प्रमाणित होता है। ऐसी सूरत में आरोपी वरूण कुमार धारा 8/18 सपठित धारा 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में भी दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

50. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त वरूण कुमार को धारा 8/18, 8/18 सपठित धारा 29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

51. **अतः वरूण कुमार पुत्र श्री लालचन्द उर्फ डालूराम, मेघवाल निवासी 14/116 मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर , हाल गांव अबूबशहर तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/18, 8/18 सपठित धारा 29 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।**

(अजय कुमार भोजक)

52. निर्णय आज दिनांक 10–07–2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजय कुमार भोजक)

–:दण्ड के बिन्दु पर:–

53. दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त वरूण कुमार व उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को सुना गया।

54. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त इस प्रकरण में वर्ष 2015 से अन्वीक्षा भुगत रहा है, उसका यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त के प्रति सजा के प्रश्न पर नरमी बरते जाने का निवेदन किया । इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

55. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया पत्रावली का अवलोकन किया। यह सही

है कि अभियुक्त इस प्रकरण में पिछले करीब 10 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है एवं उसका यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, परन्तु अभियुक्त से हस्तगत प्रकरण में 500 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई है । अतः बरामदगी की मात्रा को देखते हुए और वतर्मान में समाज में नशावृत्ति के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए एवं समाज में नशे से पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखते हुए न्यायालय अभियुक्त को निम्नप्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता है।

दण्डादेश

56. **परिणामस्वरूप अभियुक्त वरूण कुमार पुत्र श्री लालचन्द उर्फ डालूराम, मेघवाल निवासी 14/116 मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर , हाल गांव अबूबशहर तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/18 के अपराध की दोषसिद्धि में पांच वर्ष(05 वर्ष) के कठोर कारावास से व दस हजार रूपये (रू० 10,000/–) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को एक माह (01 माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगताया जाए।**

57. **अभियुक्त वरूण कुमार पुत्र श्री लालचन्द उर्फ डालूराम , मेघवाल निवासी 14/116 मुक्ताप्रसाद नगर , बीकानेर , हाल गांव अबूबशहर तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/18 सपठित धारा 29 के अपराध की दोषसिद्धि में पांच वर्ष (05 वर्ष) के कठोर कारावास से व दस हजार रूपये (रू० 10,000/–) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को एक माह (01 माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगताया जाए।**

58. **अभियुक्त वरूण कुमार की उक्त मूल सजायें साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त वरूण कुमार द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे।**

59.. **निर्णय एवं दण्डादेश की एक प्रति अभियुक्त वरूण कुमार को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जावे। अभियुक्त वरूण कुमार न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त वरूण कुमार का सजा का वारण्ट बनाया जाकर केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर भिजवाया जाए।**

60. **अभियुक्तगण भूपेन्द्र कुमार चौधरी, रामभरोसे उर्फ कालूराम इस प्रकरण में मफरूर हैं व अभियुक्त हड़मानाराम के विरूद्ध मामला धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लम्बित रखा गया है। अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट लगाया जावे कि इसका कोई भाग नष्ट न किया जावे एवं प्रकरण का वजह**

सबूत व सैम्पल्स को सुरक्षित रखा जावे।

(अजय कुमार भोजक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एनडीपीएस प्रकरण, श्रीगंगानगर

61. दण्डादेश आज दिनांक 10–7–2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजय कुमार भोजक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एनडीपीएस प्रकरण, श्रीगंगानगर